

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 16 ■ अंक - 315 ■ अम्बिकापुर, शनिवार 13 दिसम्बर 2025 पृष्ठ -8 ■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



बस्तर ओलंपिक 2025 11 - 13 दिसंबर 2025


करसाय ता बस्तर बरसाय ता बस्तर
रिकॉर्ड 3.91 लाख पंजीयन



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

माननीय केन्द्रीय गृहमंत्री

श्री अमित शाह जी का
छत्तीसगढ़
की पावन धरा पर हार्दिक
स्वागत, वंदन,
अभिनंदन



आर.ओ. नं.-46213/14

निरंतर
सेवा
निरंतर
2 साल विकास

गरीब, युवा, महिला और किसान
दो वर्ष में हुआ सबका कल्याण

सुशासन के 2 वर्षों में बदलाव की मिसाल बना छत्तीसगढ़



Visit us : [Facebook](https://www.facebook.com/ChhattisgarhCMO) /ChhattisgarhCMO [Facebook](https://www.facebook.com/DPRChhattisgarh) /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

C
M
Y
K

रबी मौसम हेतु
उद्यानिकी फसलों
का बीमा 31
दिसम्बर तक

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक श्री कमलेश साहू ने बताया है कि पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2025-26 में रबी मौसम के जिले के समस्त विकासखण्डों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। उद्यानिकी खेती करने वाले जिले के किसान अपने फसल का बीमा 31 दिसम्बर 2025 तक करा सकते हैं। उद्यानिकी फसल जैसे टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू फसल हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना में ऋणी कृषक (भू-धारक एवं बटाईदार) तथा अऋणी कृषक लाभ ले सकते हैं। कृषकों को बीमा करने हेतु फसलों के अनुसार निर्धारित ऋणा मान का 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक अंश राशि के रूप में जमा करना होगा। रबी मौसम के दौरान किसी भी प्रकार के अधिक वर्षा, ओलावृष्टि, अधिक तापमान, सूखा, बीमारी अनुकूल मौसम की नौबत आती है तो फसल बीमा के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाता है।

रबी मौसम के लिये बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है। निर्धारित सीमा में उद्यानिकी फसलों का बीमा स्वयं ऑनलाइन अथवा लोक सेवा केंद्रों तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया के अधिकृत प्रतिनिधि (सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा मो. नम्बर-6266461767) से भी बीमा करा सकते हैं।

प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचे योजनाओं का लाभ : कलेक्टर

- ★ जिला स्तरीय सलाहकार एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक संपन्न
- ★ हितग्राही एवं रोजगार मूलक योजनाओं की हुई गहन समीक्षा
- ★ योजनाओं के समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निर्देश

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सलाहकार एवं परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न हितग्राही मूलक, विकास एवं रोजगार मूलक योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के प्रकरणों में शत-प्रतिशत स्वीकृति और सहायता ऋण राशि के समयबद्ध वितरण के निर्देश दिए।

बैठक में लीड बैंक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में वित्त विभागीय के दौरान 3 नए बैंक शाखाओं ग्रामीण बैंक डिंडो, बैंक ऑफ इंडिया बलरामपुर और इंडियन बैंक बलरामपुर की शुरुआत की गई है। इस दौरान कलेक्टर ने शंकरगढ़, बलरामपुर एवं कुसुमी विकासखंड में 4 नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए निर्धारित स्थलों पर की गई कार्यवाही की भी विस्तृत समीक्षा करते हुए बैंकों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कर जल्द से जल्द शाखाएं प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री कटारा ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ जिले के प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचे। वित्तीय समावेशन से जुड़ी योजनाओं पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने

कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, वीमेन लेड इंटरप्राइज फाइनेंस, प्रधानमंत्री



मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जैसे कार्यक्रम स्वरोजगार को बढ़ावा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं के तहत जमा सभी प्रकरणों का 15 दिनों के भीतर निराकरण करते हुए हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराएं।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अधिक से अधिक जोड़ने के निर्देश भी दिए। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के लंबित आवेदनों का त्वरित निराकरण करने तथा कृषि, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के हितग्राहियों को अधिकतम लाभ दिलाने हेतु सन्मन्वित प्रयास करने की बात कही।

कलेक्टर श्री कटारा ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,

जिला अत्यावसायी सहकारी विकास समिति, पीएमइजीपी, सीएमइजीपी, पीएम-स्वनिधि



करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा भेजे गए प्रकरणों की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने आगामी समय में सभी बैंक शाखा प्रबंधकों एवं योजना प्रमुखों को योजनाओं के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कर पात्र लोगों को लाभान्वित

सहायक महाप्रबंधक रिजर्व बैंक श्री सतेन्द्र कुमार राठौर, लीड बैंक अधिकारी श्री अंकित शर्मा, जिला विकास प्रबंधक नाबाई श्री अनुपम तिवारी तथा संबंधित विभागों के जिला अधिकारी एवं विभिन्न बैंक शाखाओं के प्रबंधक उपस्थित थे।

भाजपा नेताओं ने सहकारी समितियों का किया निरीक्षण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बलरामपुर। भाजपा शिवनंदनपुर मंडल अध्यक्ष हरिश राजवाड़े के नेतृत्व में



पदाधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों में जाकर धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जिसमें कसलगीरी, सिलाफली

गया। निरीक्षण के दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष देवधन राम बिंझिया, अर्जुन कुमार, रामशंकर, दीपक व अन्य उपस्थित रहे।

निजामुद्दीन ट्रेन की बिश्रामपुर स्टेशन में ठहराव न होने पर आंदोलन की चेतावनी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। सरगुजा संभाग के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन बिश्रामपुर में अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन क्रमांक 22407/22408 के ठहराव को लेकर आज बिश्रामपुर रेलवे संघर्ष समिति द्वारा कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। शुक्रवार को रेल संघर्ष समिति बिश्रामपुर ने

एक्सप्रेस सरगुजा को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली इकलौती सुविधा है, ऐसे में इसका बिश्रामपुर में ठहराव न होना स्थानीय जनता के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। ज्ञापन में यह भी उल्लेखित है कि वर्षों से मांग उठाए जाने के बावजूद रेलवे विभाग की उदासीनता के चलते अब तक ठहराव स्वीकृत नहीं किया गया। ज्ञापन



कलेक्टर को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया है कि बिश्रामपुर स्टेशन न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि यह सरगुजा संभाग का एकमात्र गुड्स शेड भी है, जहां प्रतिदिन भारी मात्रा में आवश्यक सामग्रियों की रेंके आती-जाती हैं। यह स्टेशन कभी पूरे संभाग का अंतिम स्टेशन हुआ करता था, जिसके वर्षों बाद अंबिकापुर तक रेल लाइन का विस्तार हुआ। बावजूद इसके बिश्रामपुर स्टेशन को आज भी उचित महत्व नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि एसेईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र में संचालित कोयला खदानों में कार्यरत देश के विभिन्न राज्यों से आए हजारों कर्मचारी बिश्रामपुर व आसपास में निवासरत हैं। दिल्ली सहित उत्तर भारत, मध्य भारत व अन्य राज्यों के लिए नियमित रेल सेवा की आवश्यकता सबसे अधिक इन्हीं को पड़ती है। अंबिकापुर-निजामुद्दीन

में उल्लेख किया गया है कि यदि निजामुद्दीन ट्रेन का बिश्रामपुर स्टेशन में जल्द ही ठहराव की मांग पूरी नहीं की गई तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य सुभाष गोयल, रमेश दनौदिया, अधिवक्ता प्रदीप गर्ग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक अग्रवाल शोकी, चन्दन सिंह, जतीन तायल, बिश्रामपुर नगर पंचायत अध्यक्ष निर्मला यादव, उपाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह चौहान, पूर्व उपाध्यक्ष राजेश यादव व अन्य उपस्थित थे।

गुणवत्ता पखवाड़ा में बिश्रामपुर क्षेत्र को मिला द्वितीय स्थान

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। एसेईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र ने एक बार फिर नवाचार की दिशा में किए गए

संतुलन, मशीनों की मटेनेंस, कर्मचारियों की भागीदारी और नवाचार की दिशा में किए गए

फोकस किया, जिसका असर सीधे उत्पादकता और प्रदर्शन पर दिखा। पुरस्कार ग्रहण करते हुए क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉ. संजय कुमार सिंह ने कहा कि यह सम्मान बिश्रामपुर की पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है। हमने हमेशा गुणवत्ता और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और आगे भी यही हमारी दिशा रहेगी। उन्होंने कहा कि जोखिमों का

प्रयास इन सभी मोर्चों पर बिश्रामपुर क्षेत्र ने इस वर्ष उल्लेखनीय बढ़त बनाई है। गुणवत्ता पखवाड़े में टीम ने कार्यप्रवाह सुधार, तकनीकी समस्या समाधान, वर्कशॉप मॉनिटरिंग और ऑप्टिमाइजेशन पर विशेष

समय रहते मूल्यांकन, कर्मचारियों को निर्णय में भागीदारी देना, तकनीकी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और प्रत्येक विभाग के साथ नियमित समीक्षा ने बिश्रामपुर क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों से बेहतर स्थिति में खड़ा किया है।



डाटा एंट्री ऑपरेटरों से कराए जा रहे लिपिकीय कार्यों पर संघ का विरोध

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। छत्तीसगढ़ के कोषालय विभाग में बढ़ती अनियमितताओं को लेकर अब नाराजगी खुलकर सामने आने लगी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कोषालय शासकीय कर्मचारी संघ के सरगुजा संभागीय अध्यक्ष आलम साय राजवाड़े ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के कई जिलों के कोषालय अधिकारी लिपिकों के अधिकारों का खुलेआम हनन कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश के कोषालय कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। राजवाड़े ने बताया कि इस पूरे प्रकरण को लेकर संगठन ने विशेष सचिव, वित्त विभाग तथा संचालक, कोष एवं लेखा को विस्तृत पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की है। संघ के मुताबिक कई जिलों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों से वह कार्य कराए जा रहे हैं जो पूर्णतः लिपिकों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। उन्होंने बताया कि जिला कोषालय रायपुर,

इंद्रावती कोषालय नवा रायपुर, जिला कोषालय कवर्धा, जिला कोषालय जगदलपुर में डाटा एंट्री ऑपरेटरों से कार्य कराकर कई जिलों में भी इसी तरह के उल्लंघन किया जा रहा है। संघ का कहना है कि यह न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि कोषालय संचालन की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न खड़े करता है। राजवाड़े ने कहा कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों का कार्य केवल डाटा एंट्री, डाटा प्रवेश और तकनीकी काम तक सीमित है, जबकि लिपिक नस्तिर्यों का प्रस्तुतीकरण, अभिलेखों का संधारण, पत्राचार और नियमों के अनुरूप निर्णयात्मक कार्यों के लिए प्रशिक्षित होते हैं। वित्त विभाग द्वारा भी पिछले वर्ष दोनों पदों के कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संघ ने आरोप लगाया कि कई कोषालय अधिकारियों द्वारा दोष के पारित शाखा, सीपीएस/ओपीएस शाखा,

पेंशन शाखा, ई-पेमेंट शाखा, भंडार शाखा जैसे अत्यंत संवेदनशील काम भी डाटा एंट्री ऑपरेटरों को दे रहे हैं और आश्चर्यजनक रूप से कई मामलों में इन कार्यों का परीक्षण सहायक कोषालय अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि सीधे कोषालय अधिकारी ही इन्हें पारित कर देते हैं। यह कोषालय संहिता का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि वित्त विभाग व संबंधित अधिकारियों ने समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं की और लिपिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं किए गए, तो प्रदेशभर के कोषालय कर्मचारी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। राजवाड़े ने कहा कि हम नियमों के अनुरूप काम चाहते हैं, किसी के खिलाफ नहीं। लेकिन यदि लिपिकों के अधिकार छीने जाएंगे और कोषालय संचालन गैर-प्रशिक्षित स्टाफ के भरोसे छोड़ा जाएगा, तो संघ कड़े कदम उठाने में पीछे नहीं हटेगा।

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। राष्ट्रीय सेवा योजना शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर के स्वयंसेवी छात्राओं द्वारा प्राथमिक शाला अधीन 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण बच्चों एवं अभिभावकों में स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की प्राचार्य के मार्गदर्शन तथा कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व स्वयंसेवी छात्राओं ने प्राथमिक शाला परिसर में स्वच्छता अभियान, हाथ धुलाई एवं स्वच्छ आदतों पर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बच्चों को बाल सुरक्षा, नियमित स्कूल उपस्थिति, पोषण और खेल-कूद के महत्व के बारे में सरल एवं रोचक तरीके से जानकारी दी गई। छात्राओं ने रंगोलियों, नुकड़ नाटक और प्रेरक गीतों के माध्यम से नशा मुक्ति, बालिका शिक्षा, स्वच्छ पाठ्यालय, एवं प्लास्टिक मुक्त गांव का संदेश दिया।

नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। नवीन पाठ्य पुस्तक पर विषय आधारित विकासखंड स्तरीय पांच दिवसीय प्रशिक्षण स्थानीय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिश्रामपुर तथा स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय के सभा कक्ष में संपन्न हुआ। जिसमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान विषय पर क्रमशः 94 तथा 98 प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिन्हें जिला प्रशिक्षण संस्थान अंबिकापुर से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सामाजिक विज्ञान

विषय में रितेश कुमार गुप्ता, सोनभ वर्मा, टीकाराम यादव तथा विज्ञान विषय में अमरेंद्र पांडेय, त्रिवेणी प्रसाद, सुनीता बंजारे ने मास्टर ट्रेनर्स के रूप में कार्य किया।

प्रशिक्षण के दौरान सुरजपुर बीईओ हरेंद्र कुमार सिंह तथा विकासखंड स्त्रोत समन्वयक मनोज कुमार मंडल ने कहा कि विषय आधारित प्रशिक्षण शिक्षकों की विषयगत दक्षता बढ़ाने, कक्षा-कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने तथा विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में सुधार लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक जब अपने विषय में

विद्यार्थियों को व्यवहारिक, रोचक और सीखने-योग्य वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज निर्माण की धुरी हैं, इसलिए उनका सतत प्रशिक्षण और अद्यतन रहना अत्यंत आवश्यक है। विकासखंड स्त्रोत समन्वयक मनोज कुमार मंडल ने कहा कि विषय आधारित प्रशिक्षण शिक्षकों की विषयगत दक्षता बढ़ाने, कक्षा-कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने तथा विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों में सुधार लाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षक जब अपने विषय में

पंचायत एवं ग्रामीण विकास कार्यों की हुई समीक्षा बैठक

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जनपद पंचायत रामचंद्रपुर के सभाकक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सहित अन्य योजनाओं के प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई एवं निर्माण कार्यों में प्रगति लाने संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सीईओ ने मनरेगा अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने मनरेगा अंतर्गत महिला मजदूरों की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास



योजना की समीक्षा करते हुए योजना अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्माणधीन आवासों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लंबित आवासों

को एक माह के भीतर प्लिन निर्माण शत-प्रतिशत पूर्ण करते हुए समय-सीमा में आवास पूर्ण

कराएं। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने सचिव, ग्रामीण रोजगार सहायक, बीएफटी एवं तकनीकी सहायक को कार्यों में प्रगति

लाने के निर्देश दिए। सीईओ श्रीमती तोमर ने कहा कि शासन की सभी योजनाएं सीधे ग्रामीण हितों से जुड़ी हैं और गुणवत्तापूर्ण कार्य तथा समयबद्ध प्रगति शासन की प्राथमिकता है। इसके लिए संबंधित सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन करें। समीक्षा बैठक के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनसुरक्षा, स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए आवारा कुत्तों के प्रबंधन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। बैठक में जनपद सीईओ श्री रणवीर साय सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

बाल विवाह मुक्त भारत के तहत चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन व महिला एवं बाल विकास विभाग के नेतृत्व में जिले में बाल विवाह मुक्त भारत के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बाल संरक्षण इकाई एवं चाईल्ड हेल्पलाइन के द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तातापानी एवं एकलव्य विद्यालय राजपुर में छात्र-छात्राओं को जानकारी देते हुए बताया गया कि बाल विवाह केवल एक सामाजिक बुराई ही नहीं अपितु कानूनन अपराध भी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल

विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे संबंधी, बाराती यहां तक कि विवाह करने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ-मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। समाज में व्याप्त इस बुराई

के पूर्णतः उन्मूलन हेतु जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकाय/पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संगठनों, महिला स्व सहायता समूहों, किशोर एवं किशोरी बालिकाओं तथा आमजनों से सहयोग प्राप्त कर इस प्रथा के उन्मूलन हेतु परिणाम मूलक कार्यवाही की जानी है। जिले में कहीं पर भी बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर चाईल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 व पुलिस हेल्पलाइन 112 में संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर विभाग के अधिकारी-कर्मचारी व विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं तथा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।



सम्पादकीय

दीपावली को मिला ग्लोबल सम्मान

भारत के प्रमुख त्योहार दीपावली को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया जाना देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस फैसले से दीपावली को ग्लोबल सम्मान मिला है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने से दीपावली को विश्वभर में संरक्षण मिलेगा। इससे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को और मजबूती मिलेगी, साथ ही यह युवा पीढ़ी के बीच पारंपरिक उत्सवों की महत्ता समझने में भी मदद करेगा। इस दिन घर-घर दीप जलाकर, रंगोली सजाकर और खुशियां मनाकर यह उत्सव पूरे देश में बड़े हर्ष उल्लास से मनाया जाता है। यह पहली बार है जब भारत इन्टरनेशनल कल्चरल हेरिटेज (आईसीएच) के संरक्षण के लिए इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के सत्र की मेजबानी कर रहा है। इस समिति का 20वां सत्र लाल किले में 8 से 13 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा दीपावली उत्सव को प्रतिष्ठित लिस्ट में शामिल किए जाने की घोषणा के बाद 'वंदे मातरम्' और 'भारत माता की जय' के नारे हवा में गूंज उठे। अब भारत की 16 चीजें यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल हो गई हैं। इनमें वंदे पठन, कुटियट्टम, रामलौला, रामन, मुद्दिथैड, कालबेलिया लोक गीत और नूत्य, छाऊ नूत्य, लक्ष्मण में बौद्ध पाठ, मणिपुर का संकीर्तन, जंडियाला गुरु के ठठेरा बर्तन निर्माण, योग, नवरोज, कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा और अब दीपावली शामिल हैं। दीपावली भारत के उन चिरस्थायी त्योहारों में से एक है जो अन्वयुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। यूनेस्को ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की इन्टरनेशनल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में दीपावली के अलावा घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथियोपिया और मिश्र सहित कई देशों के सांस्कृतिक प्रतीक भी शामिल किए हैं। यूनेस्को के इस ऐलान के बाद भारत सरकार ने कहा कि दीपावली को इस सूची में शामिल करके यूनेस्को ने नवीकरण, शांति और अच्छाई की जीत के लिए शाश्वत मानवीय अभिलाषा का सम्मान किया है। दीपावली सभ्यता की आत्मा है। यह फैसला न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मान्यता देता है, बल्कि हमारी परंपराओं को संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी बढ़ाता है। इसी मौके को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर को विशेष दीपावली समारोह रखने का फैसला किया है, ताकि दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत तरह से पेश किया जा सके। दीपावली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक जीवंत परंपरा है। यह अंधकार पर प्रकाश, अज्ञानता पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध समुदायों के लिए इसका अलग-अलग धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। वेपक, पटाखे, मिठाइयां और घर की सफाई जैसी प्रथाएं इस त्योहार को एक सामाजिक समारोह बनाती हैं, जो परिवारों और समुदायों को जोड़ती हैं। इसके यूनेस्को की सूची में शामिल होने से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि संस्कृति का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। यह हमारे युवाओं को अपनी जड़ों से जुड़ने और परंपराओं को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। यह हमारे लिए एक गर्व का क्षण है, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ाता है। हमें इस त्योहार की मूल भावना प्रकाश, ज्ञान और एकता को बनाए रखना होगा।



राष्ट्रीय गीत प्रमोद भार्गव

मुस्लिम तुष्टिकरण की बुनियाद पर भारत को जितनी हानि उठानी पड़ी है, दुनिया के अन्य किसी देश ने नहीं उठाई। इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन से की। इसी कड़ी में वंदे मातरम् गीत के टुकड़े किए गए और फिर देश का भी बंटवारा जिन्ना की अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जिद के चलते हो गया, जबकि संपूर्ण वंदे मातरम् गीत भारत की शाश्वत संकल्पना है। राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में हुई चर्चा के दौरान गीत के विभाजन के लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सीधे जिम्मेवार ठहराया। कहा, 'नेहरू ने जिन्ना की सांप्रदायिक चिंताएं दोहराकर वंदे मातरम् के साथ विश्वासघात किया, गीत के टुकड़े कराए। इससे देश तुष्टिकरण की राजनीति को राह पर चल पड़ा, जो विभाजन पर जाकर थमा।' इसी तुष्टि के चलते 1875 में रचित इस गीत के केवल दो पद राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाए गए। मोदी के इस कथन ने इतिहास के इस काले पन्ने पर जमा धूल को हटाने का काम एप सिरे से कर दिया है। जबकि आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम् की भावना ने पूरे राष्ट्र का जागरण किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में इस गीत के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। जिस भाव से वंदे मातरम् के टुकड़े किए गए थे, कालांतर में उसी भाव ने विभाजन के बीज बो दिए थे। जबकि यह ठोस और निर्विवाद सच्चाई है कि देश को आजादी दिलाने में इस गीत की अहम भूमिका रही है। बंकिमचंद्र चटर्जी के बंगाल भाषा में लिखे गए उपन्यास 'आनंद मठ' में यह गीत दर्ज है। राष्ट्रगान के रूप में स्वीकारा गया यह गीत कोई मामूली गीत नहीं है। भारत को उसकी व्यापक राष्ट्रियता की पहचान और स्वाभिमान इसी गीत से प्राप्त हुए। नागरिक सभ्यता की विरासत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानव सेवा के मूल्यों के उस इसी गीत के समवेत स्वर की उपज हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध भिन्न जातीय और धर्म-समुदायों को संगठित करने के अभियान में इसी गीत की भूमिका बुलंद थी। तय है, वंदे मातरम् क्रांति के स्वरो में नींव का पथर था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की रक्त धमनियों में विद्ये की उम्र भावना इसी गीत की देन है। 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को देशव्यापी धरालत इसी गीत के बूते मिला था। वह यही आंदोलन था, जिसमें गांधी ने 'करो या मरो' का नारा दिया था। यह नारा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर प्रश्नचिह्न खड़ा करने वाला भी माना जाता है। सुभाषचंद्र बोस की आजाद हिन्द फौज के फौजियों ने भी इसी गीत को गाते हुए मार्चपुंज की बलिबंदी पर प्राण न्योछावर किए थे।



हैं, इसलिए बंकिम बाबू ने इस गीत को लिखे जाने के वक्त ही अपनी दिव्य-दृष्टि से अनुभव कर लिया था कि यह गीत राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनकर लोकप्रियता के शिखर चूमेगा, इसीलिए उन्होंने इसे बांग्ला भाषा में न लिखते हुए संस्कृत में लिखा। मूल और संपूर्ण गीत की केवल नौ पंक्तियां बंगाली में हैं। इस गीत का जो संपादित अंश राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया है, वह केवल दो पद और आठ पंक्तियों में है। वंदे मातरम् को इस्लाम विरोधी बताया जाता रहा है। जब कांग्रेस ने इसे प्रार्थना गीत के रूप में स्वीकार किया था, तब भी इसकी खिलाफत शुरू हो गई थी। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम् का विरोध किया। वस्तुतः नेहरू ने इस विरोध के पांच दिन बाद ही सुभाष बोस को लिखे एक पत्र में कहा कि 'आनंद मठ में उल्लेखित वंदे मातरम् की पृष्ठभूमि मुसलमानों को उकसा सकती है।' इसी के बाद कांग्रेस कार्यकारिणी ने आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसमें मौलाना आजाद, पंडित नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस जैसे प्रखर संस्कृति मर्मज्ञ सदस्य थे। समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे रवीन्द्रनाथ ठाकुर से विचार-विमर्श कर वंदे मातरम् के

मन को स्थिर रखना ही है जीवन का सूत्र

काम, क्रोध, लोभ और मोह की स्वाभाविक वृत्तियों से घिरा हुआ मनुष्य जब अपनी असतुष्टि से इनमें आनंद का अनुभव करने लगता है, तो उसे यह संसार खुशनुमा लगने लगता है। काम अर्थात् इच्छा। जब भी किसी व्यक्ति के मन में उठी इच्छा की पूर्ति होती है, तो वह परम आनंद को प्राप्त करता है। यह वह वह वह वह है कि जबकी वह इच्छापूर्ति कर लेता है...

भगवान को धन की कोई आवश्यकता नहीं

एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन भजन कीर्तन स्मरण सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उस ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कह कर कहा कि मैं भी वहां जाऊंगा...

दिवस विशेष डॉ. लोकेन्द्र सिंह



भाषा जोड़ती है तोड़ती नहीं

जब कहीं से यह समाचार पढ़ने/सुनने को मिलता है कि मराठी, तमिल या अन्य कोई भाषा नहीं बोलने के कारण व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी गई, तो दुःख होता है कि संकीर्ण राजनीति हमें किस दिशा में ले जा रही है। हम अपनी ही भाषाओं का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? जो भाषाएं आपस में जुड़ी हैं, उनके नाम पर हम एक-दूसरे से दूर क्यों हो रहे हैं? भारत की सभी भाषाओं के शब्द भंडार एक-दूसरे के शब्दों से समृद्ध हैं। हमें तो भाषायी विविधता का उत्सव मनाना चाहिए। भारत की संस्कृति की विशेषता है कि वह विविध रूपों में प्रकट होती है। हम सब मिलकर 11 दिसंबर को महान तमिल कवि सुब्रह्मण्यम भारती की जयंती प्रसंग पर 'भारतीय भाषा दिवस' मनाते हैं। यह प्रसंग ही हमें भाषाओं के प्रति संवेदनशील होने की ओर संकेत करता है और बताता है कि भाषाएं मानवीय संबंधों में सेतु का कार्य करती हैं। एक-दूसरे से जोड़ती हैं। सुब्रह्मण्यम भारती ने तमिल को शास्त्रीय स्वरूप से बाहर निकालकर सरल और आम बोलचाल की तमिल का प्रयोग किया ताकि उनके विचार और तमिल साहित्य का ज्ञान आम लोगों तक पहुंच सके। तमिल को प्राथमिकता देने के बावजूद भारतीय ने हिन्दी और तेलुगु सहित अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति भी सम्मान दिखाया। वह चाहते थे कि सभी भारतीय भाषाओं के बीच ज्ञान का आदान-प्रदान हो, जिससे भारत एक सशक्त राष्ट्र बन सके। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि भारत की विभिन्न भाषाएं उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति और सुंदरता हैं। भाषा मनुष्यों के बीच विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के सुचारु आदान-प्रदान को संभव बनाती है। यदि भाषा न हो, तो वह सब संभव नहीं हो सकता। भाषा को लेकर अगर हम किसी संकीर्ण विचार से प्रसित नहीं हैं, तब यह हमें एक अलग दुनिया की रस कराती है, जहां एक-दूसरे के प्रति सम्मान है, अपनत्व है, एक-दूसरे से जुड़ने की लालक है। अपने कभी सोचा है कि कितना अपनापन लगता है जब कोई हमारी मातृभाषा में बात करता है या फिर हम सामने वाले की मातृभाषा में बात करने की कोशिश करते हैं। सच, मानिए यह पहल हृदयों को मिलाने का काम करती है। भारतीय राजनीति में इसका उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे सामने है। संपूर्ण देश में उनकी लोकप्रियता का कारण है कि वे जिस स्थान पर और जिन लोगों के बीच भाषण दे रहे होते हैं, उनके साथ संवाद स्थापित करने के लिए अभिवादन उनकी ही भाषा में करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के अलग-अलग देशों के राष्ट्रपतियों को सोशल मीडिया पर बधाई-सुभकामना एवं अन्य विषयों से जुड़े महत्वपूर्ण पोस्ट भी उनकी ही भाषा में करते हैं। यानी देश-दुनिया को जोड़ने के लिए भाषा को बेहतरीन उपयोग हम प्रधानमंत्री मोदी से सीख सकते हैं। अनुवाद और बहुभाषावाद के माध्यम से भाषाएं सांस्कृतिक दूरियों को कम करती हैं। एक भाषा सीखना दूसरे समुदाय के विचारों और जीवनशैली को समझने का द्वार खोलता है, जिससे हमारे पूर्वाग्रह भी कम होते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा सीखने का प्रयास भी करना चाहिए। 'भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं', यह आदर्श विचार इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि भाषा लोगों को एक-दूसरे से जुड़ने, भावनाएं साझा करने और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में सहायता करती है। भाषा के नाम पर भारतीय समाज को तोड़ने की साजिश का हिस्सा बन रहे लोगों को यह बात भली प्रकार से समझनी चाहिए। उन्हें अपनी ऊर्जा भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने में लगाना चाहिए। विशेषकर, संकीर्ण राजनीति के प्रभाव में आकर हिन्दी का विरोध करने वाले बंधुओं को यह देखना चाहिए कि हिन्दी का विकास एवं विस्तार अहिन्दी भाषी महानुभावों ने अधिक किया है, जिनमें प्रमुख हैं- स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, माधवराव सप्रें, विनोबा भावे, गोपालस्वामी अयंगर, डॉ. चलासिनी सुब्बाराव, काका कालेलकर, आर. वेंकटरमण, ज्योतिराव फुले इत्यादि। हिन्दी की पहली कठानी 'एक टोकरा भर मिट्टी' के रचनाकार प्रख्यात प्रकाश माधवराव सप्रें संदेश देते हैं कि 'मैं मराठी हूँ लेकिन हिन्दी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है, जितना किसी हिन्दी भाषी को हो सकता है।' वहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती मानते थे कि 'हिन्दी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।' इस प्रकार के राष्ट्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो भाषा के वास्तविक उद्देश्यों को स्थापित करता है। स्मरण रखें कि जब भाषा को सम्मान, समावेश और समझ के साथ प्रयोग किया जाता है, तो वह निश्चित रूप से 'जोड़ती' है। हमारे पुरखों ने ऐसा करके दिखाया है। संपूर्ण भारत में इसके अनुकरणीय उदाहरण हमें मिलते हैं। इसलिए हमें अपनी भाषाई विविधता का उत्सव मनाना चाहिए और हर भाषा को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भाषा एक अमूल्य सांस्कृतिक खजाना है। हम एक-दूसरे की भाषा को सीखें, समझें और भावनाओं से लेकर शब्दिक आदान-प्रदान करें।

(लेखक नरबल्लाल वसुदेवी द्विवि ने जहादकर प्रकाशक हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

संकीर्ण दर्शन



करंट अफेयर


फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति सरकोजी ने जेल के अनुभव किए साझा

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने अपनी एक किताब में उस जेल का वर्णन किया है, जहां उन्होंने 20 दिन बिताए थे। सरकोजी ने जेल को शोरगुल वाली जगह, कठोर और अमानवीय हिंसा से भरी दुनिया बताया है। सरकोजी की इस पुस्तक का बुकाव को विमोचन किया गया जिसमें इस बारे में राजनीतिक सलाह भी दी गई है कि उनकी कठोरता प्रकट करके राष्ट्रपति की मतदाताओं को कैसे आकर्षित करना चाहिए। 'डायरी ऑफ ए प्रिजनर' नामक इस पुस्तक में 70 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि अपराध के प्रति उनके अपने सूखे रुख ने एक नया रूप ले लिया है। सरकोजी को 2007 के अपने विजयी चुनावी अभियान को लीबिया से प्राप्त धन से वित्तपोषित करने के मामले में अपारधिका साजिश का दोषी पाया गया था। अदालत ने सितंबर में सरकोजी को पांच साल की जेल की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ उन्होंने अपील की। करीब 20 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें न्यायिक निगरानी में रिहा कर दिया गया। यह पुस्तक पेरिस की ला सैट जेल के अंदर की दुर्बल झलक पेश करती है, जहां सरकोजी को एकांत कारावास में रखा गया था और सुरक्षा कारणों से उन्हें अन्य कैदियों से सख्ती से अलग रखा गया था।



(1796-1874) में औसत पश्चिमी यूरोपीय व्यक्ति की शारीरिक विशेषताओं का पता लगाने के लिए 1832 में एक गणितीय मॉडल 'बीएमआई' को इजाद किया था। इसे शुरू में वयुटलेट इंडेक्स कहा गया और इसे कभी भी विकिसकीय आकलन का उपकरण नहीं माना गया। 1972 में वयुटलेट इंडेक्स को 'बीडी मास इंडेक्स' कहा गया। गणितीय सूत्र का उपयोग करके किसी के स्वास्थ्य का पूरा आकलन करना संभव नहीं है। बीएमआई शरीर की अतिरिक्त वजन को नहीं मापता, यह केवल 'अतिरिक्त' वजन को मापता है।

अंतर्मन



संकीर्ण प्रेरणा

आज की पाती

ऑफ बीट

बीएमआई नहीं बता सकता कि हम स्वस्थ हैं या नहीं

हम जानते हैं कि 'बीडी मास इंडेक्स' (बीएमआई) किसी के वजन और उससे जुड़े स्वास्थ्य के आकलन के लिए उपयुक्त प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह विकिसकीय, जनसंख्या शोधकर्ताओं और निजी प्रशिक्षकों के लिए यह उपयोगी उपकरण बना हुआ है। बीएमआई लोगों को चार वजन श्रेणियों में वर्गीकृत करने की एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जांच विधि है : कम वजन (बीएमआई 18.5 से कम), सामान्य वजन (18.5 से 24.9), अधिक वजन (25.0 से 29.9) या मोटापा (30 या अधिक)। किसी के वजन को उसकी लंबाई के वर्ग से विभाजित करके इसका पता लगाया जाता है। बोलिजम के गणितज्ञ लेबर्ट एडोल्फ जेकस वयुटलेट

टैंड

सभ्यता की आत्मा

गौरव का क्षण

टीपावली का यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होना हर भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। यह हमारी सनातन संस्कृति, प्रकाश, सत्य और धर्म के शाश्वत मूल्यों की वैश्विक स्वीकार्यता है। यह उपलब्धि भारत की सांस्कृतिक शक्ति का स्थिर तंत्र पर उल्लेख है।

वोट चोरी बड़ा देशद्रोह

वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है। भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा बहिष्कृत सबसे महान लोकतंत्र है। भाषण और चुनाव आयोग हमारे लोकतंत्र को नष्ट करने और लोगों की आवाज छीनने के लिए मिलीभगत कर रहे हैं।

इंडिगो घटनाक्रम शर्मनाक

इंडिगो एयरलाइंस का पूरा घटनाक्रम बेहद शर्मनाक रहा। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी कि हम अपनी एयरलाइंस तक संभाल नहीं पा रहे। एक निजी कंपनी ने भारत सरकार को घुटने पर ला दिया।



मौसम अधिकतम तापमान 42.८ न्यूनतम तापमान 29.८

बाजार सोना 7,177.9 चांदी 96/g

सैंसेक्स 82,530.74 निफ्टी 25,062.10

बिना अनुमति खान की तस्वीरों का इस्तेमाल बैन

नई दिल्ली। डिजिटल दौर में अपनी पहचान के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ एक



महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अभिनेता सलमान खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी पर्सनेलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की व्यापक कानूनी सुरक्षा की मांग की है। सुनवाई जस्टिस मनमोहन प्रीतम सिंह अरोड़ा ने की।

हनुमानगढ़ में बवाल से 30 परिवारों ने घर छोड़ा


हनुमानगढ़। जिले में गुरुवार का दिन भी तनावपूर्ण बना रहा। यहां किसानों और विपक्षी नेताओं ने




चेतावनी दी कि निर्माणधीन एथेनॉल फैक्टरी के खिलाफ उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। हालात ये हैं कि फैक्टरी के पास रहने वाले 30 परिवार डर की वजह से अपने घर छोड़कर जा चुके हैं।

पंजाब में पुजारी के बेटे की कोर्ट परिसर में हत्या

फाजिल्का। पंजाब के फाजिल्का में एक मंदिर के पुजारी के बेटे की हत्या कर दी गई। हत्या अबोहर के



अदालत परिसर में हुई। मरने वाले का नाम मौलू पंडित था और वह अबोहर के जोड़ी मंदिर के पुजारी अचनीश पंडित के बेटे थे। गोलीबारी की यह घटना गुरुवार सुबह 10:30 बजे हुई और इससे घटना से पूरे इलाके में




दहशत का माहौल है।

अनुराग ने लोकसभा में ई-सिगरेट पीने का आरोप लगाया
पूरे देश में इस पर प्रतिबंध के बावजूद टीएमसी सांसद ने सदन के नियमों का उल्लंघन किया

नई दिल्ली,

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद पर गंभीर आरोप लगाए। अनुराग ने स्पीकर ओम बिरला से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की मांग की। इस पर स्पीकर ने उन्हें आश्चर्य किया कि किसी भी तरह के नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदन के नियमों के अनुसार समुचित जांच कराई जाएगी। अनुराग ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि पूरे देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन संसद में तृणमूल कांग्रेस सांसद ई-सिगरेट पी रहे हैं। उनकी इस बात को गंभीरता से लेते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि संसदीय नियमावली के तहत इस घटना की जांच कराई जाएगी। उन्होंने आश्चर्य किया कि संसद की मर्यादा से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

स्पीकर से मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की मांग की



लोकसभा में अपनी बात रखते अनुराग ठाकुर

बिरला ने समुचित जांच कराने की बात कही

लोकसभा में अपनी बात रखते अनुराग ठाकुर

स्पीकर से व्यवस्था पर की अपील

अनुराग ने दोपहर करीब 11.27 बजे प्रश्न पूछा। उन्होंने केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के मंत्री सीआर पाटिल से पूछा कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार ने तटीयकरण के लिए कितना फंड आवंटित किया? इसके बाद उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से सदन की व्यवस्था से जुड़ा सवाल किया। ठाकुर को बिरला ने बताया कि कोई भी सदस्य स्पीकर से सवाल नहीं, अपील कर सकता है। इस पर भाजपा सांसद ने कहा कि वे सवाल नहीं कर रहे, आग्रह करना चाहते हैं।

सदन के नियमों को तोड़ा तो कार्रवाई होगी: बिरला

ठाकुर ने कहा कि देशभर में ई-सिगरेट बैन हो चुकी है। क्या सदन में इसकी अनुमति दी गई है? टीएमसी के सांसद कई दिनों से लगातार बेटकर पी रहे हैं। इसकी जांच करानी चाहिए। भाजपा सांसद की गंभीर आपत्ति पर स्पीकर

ओम बिरला ने कहा कि मैं सभी सदस्यों से फिर आग्रह करता हूँ। हमें संसदीय परंपराओं और नियमों का अनुपालन करना चाहिए। कोई भी सदस्य ऐसा कोई विषय लेकर आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी।

एसआईआर पर सीएम ममता ने कहा किसी महिला का नाम कटा तो रसोई के औजारों से करें पिटाई

नई दिल्ली,

महिलाएं ज्यादा

त्रिवेदी ने संसद में खोला इतिहास का 'अनसुना' पन्ना

आंबेडकर की हार पर नेहरू ने एडविना को क्यों लिखा पत्र? 34, 000 वोटों को क्यों किया रद्द?

चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को इतिहास का अनसुना पन्ना खोल दिया। त्रिवेदी ने कांग्रेस के शासनकाल और विशेष रूप से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक पत्र का जिक्र करते हुए इतिहास की कई परतों को उधेड़ दिया। त्रिवेदी ने 1952 के पहले आम चुनाव का जिक्र किया। इस चुनाव में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर भी बॉम्बे (अब मुंबई) नार्थ सीट से चुनावी मैदान में थे। लेकिन, उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें हराने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण काजोलकर थे। डॉ. त्रिवेदी ने दावा किया कि 34,000 वोट रद्द करके उन्हें 15,000 वोट से हरा दिया गया। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को एक पत्र लिखा था। सुधांशु ने बताया कि नेहरू ने माउंटबेटन को पत्र लिखा था।

आंबेडकर के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण बताया

त्रिवेदी ने कहा कि नेहरू ने कथित तौर पर यह भी लिखा था कि आंबेडकर हिंदू कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिला रहे हैं। त्रिवेदी का तर्क था कि यह घटनाक्रम दर्शाता है कि उस समय कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आंबेडकर के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण रखता था?

पहली 'चुनावी याचिका' आंबेडकर ने दी कांग्रेस का कारनामा इतिहास में दर्ज

सुधांशु ने दावा किया कि भारत के इतिहास में पहली चुनावी याचिका किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं डॉ. आंबेडकर ने दायर की थी, क्योंकि उन्हें चुनाव प्रक्रिया और अपनी हार पर संदेह था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी आज लोकतंत्र और संविधान बचाने की दुहाई देती है, उसने अपने शासनकाल में संविधान निर्माता के साथ कैसा व्यवहार किया था? यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है?

बैलेट बॉक्स लूटने, बूथ कैप्चरिंग का दौर अब नहीं आएगा

सुधांशु ने कहा कि यह सब इंदिरा गांधी की चुनावी जीत पर अदालत में सबाल उठाए जाने का ही परिणाम था। अब बैलेट बॉक्स, बूथ लूट नहीं लौट पाएगा।

बहराइच हिंसा मामले में फैसला सरफराज को फांसी की सजा, 9 आरोपियों को आजीवन कारावास



बहराइच में हिंसा वाला स्थान

दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान राम गोपाल की हत्या की

उत्तर प्रदेश के बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को सांप्रदायिक दंगे हुए थे। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान यह दंगे हुए थे और इसमें रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना बहराइच के हरदी थाना क्षेत्र के महाराजगंज बाजार की थी। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद इलाके में हिंसा फैल गई और जमकर तोड़फोड़ हुई थी। इस मामले में 13 लोग आरोपी बनाए गए थे। वहीं मुख्य आरोपी सरफराज था। जिला सत्र न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया है और सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है जबकि 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 3 को बरी कर दिया गया।

इन धाराओं में दर्ज था मुकदमा

बहराइच के जिला सत्र न्यायालय के अपर जिला जज पवन कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया। मामले का ट्रायल 13 महीने तक चला और उसके बाद अदालत में 10 अभियुक्त को दोषी पाया। कोर्ट में सभी सबूत और गवाहों की गवाही के बाद यह सजा सुनाई गई। सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 191/2, 191/3, 190, 103/2, 249 और 61/2 के साथ आर्य समाज की धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई थी।

देश की विकास यात्रा को मजबूत बनाने का संकल्प

पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को रात्रि भोज पर किया आमंत्रित

श्रीतकालीन सत्र के दौरान सहभागिता बढ़ाने पर हुई बात

अगला रात्रि भोज परिचम

श्रीतकालीन सत्र के दौरान सहभागिता बढ़ाने पर हुई बात

हिण्डाल्को में उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

रेणुकूट। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिण्डाल्को में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। मानवीय सम्मान और अधिकारों को समर्पित मानवाधिकार दिवस पर मस्ती फैसिलिटी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम को शुरूआत मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद उप जिला मजिस्ट्रेट दुर्द्धी/पिपरी निखिल यादव, सहायक श्रमायुक्त विजय प्रताप यादव समेत हिण्डाल्को के वरिष्ठ अधिकारियों एवं मान्यता प्राप्त श्रम संगठनों के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन व आदित्य वंदना के साथ की। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए मंच संचालन कर रहे क्लस्टर कॉम्प्लाइंस जेड सुशील ब्रह्मचारी ने सभी को मानवाधिकार की शपथ दिलवाई तथा उसकी रुपरेखा प्रस्तुत की। मानवाधिकार के इतिहास को बताते हुए उन्होंने वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता को भी दर्शाया।

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|--|
| <p>न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक: 202512020700043</p> <p>विषय:- ब-121 मामले की श्रेणी:- राजस्व सन:-2025-2026 मेन्ड्राकला प.ह.न. 00030 (हो) पक्षकारों का विवरण- आवेदक पक्षकार -कृष्ण कुमार शर्मा, अनावेदक पक्षकार - रामाकिशन, ईशतहार आवेदक कृष्ण कुमार शर्मा आं हरिराम शर्मा, निवासी दरौपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छगंग के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक के द्वारा ग्राम भेण्ड्राकला स्थित खसरा नंबर 94/1 रकबा 0.114 हे० में से रकबा 0.065 हे० भूमि को पंजीबद्ध विकल्पत्र दिनांक 12.05.2015 के माध्यम से क्रय किया गया है तथा ग्राम पंचायत भेण्ड्राकला के प्रस्ताव क्रमांक 7 दिनांक 17.03.2016 में पारित आदेश के अनुसार नामांतरण हुआ किन्तु वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अनावेदक का नाम दर्ज नहीं है। आवेदक के द्वारा उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 26.12.2025 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 09/12/2025 को जारी किया जाता है। तहसीलदार तहसील- अम्बिकापुर</p> | <p>न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर के न्यायालय में मामला क्रमांक: 202512020700059</p> <p>विषय:- ब-121 मामले की श्रेणी:- राजस्व सन:- 2025-2026 अम्बिकापुर प.ह.न. 00015 (हो) पक्षकारों का विवरण आवेदक पक्षकार -सत्यनारायण अग्रवाल, अनावेदक पक्षकार -कोई नहीं, ईशतहार आवेदक सत्यनारायण अग्रवाल आं स्व० झण्डू राम अग्रवाल, निवासी अग्रसेन वाई, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छगंग के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम अम्बिकापुर स्थित खसरा नंबर 4574/1 रकबा 0.050 हे० भूमि के रकबा 0.050 हे० के स्थान पर बुटिया रकबा 0.030 हे० दर्ज हो गया है। तथा खसरा नंबर 4574/9 रकबा 0.020 हे० भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है। आवेदक के द्वारा उक्त त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जांच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 26.12.2025 के पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। यह ईशतहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 09/12/2025 को जारी किया जाता है। तहसीलदार तहसील- अम्बिकापुर</p> | <p>न्यायालय तहसीलदार पथलगांव, जिला-जशपुर (छगंग) रांभांक्रं- 202512030900004/31-27/2025-2026 ईशतहार</p> <p>ग्राम पथलगांव तहसील-पथलगांव एतद् द्वारा आम जनता नगर पालिका परिषद, पथलगांव को सूचित किया जाता है, कि आवेदक विपी पिता सोहराई जाति उराव निवासी ग्राम पथलगांव जिला-जशपुर (छगंग) के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-178 छगंग-भू०रां० सहित 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, कि ग्राम पथलगांव, प०ह०न० 06 स्थित भूमि कुल ख०न० 06 कुल रकबा 2.7960 हे० भूमि उभयपक्ष के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उक्त भूमि बटवारा उभयपक्ष के मध्य किस्म, उपजाऊ क्षमता एवं कब्जा काशत को ध्यान में रखते हुए तीन बराबर-बराबर भागों में किये जाने का निवेदन किया गया है। जो न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त बटवारा के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उजर आपत्ति या दावा हो वह स्वयं अथवा मान्य अधिवक्ता अथवा वैध अधिकारों के मध्य दस्तावेज दावा या आपत्ति दिनांक-26/12/2025 तक न्यायालय में पेश कर सकता है। नियत समय पश्चात प्राप्त दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 04/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया। तहसीलदार पथलगांव, जिला-जशपुर (छगंग)</p> | <p>न्यायालय तहसीलदार पथलगांव, जिला-जशपुर (छगंग) रांभांक्रं- 202512030900005 /30-27/2025-2026 ग्राम पथलगांव तहसील - पथलगांव ईशतहार</p> <p>एतद् द्वारा आम जनता नगर पालिका परिषद, पथलगांव को सूचित किया जाता है, कि आवेदक विपी पिता सोहराई जाति उराव निवासी ग्राम पथलगांव जिला-जशपुर (छगंग) के द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-178 छगंग-भू०रां० सहित 1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, कि ग्राम पथलगांव, प०ह०न० 06 स्थित भूमि कुल ख०न० 06 कुल रकबा 3.3850 हे० भूमि उभयपक्ष के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। उक्त भूमि बटवारा उभयपक्ष के मध्य किस्म, उपजाऊ क्षमता एवं कब्जा काशत को ध्यान में रखते हुए तीन बराबर-बराबर भागों में किये जाने का निवेदन किया गया है। जो न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त बटवारा के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को उजर आपत्ति या दावा हो वह स्वयं अथवा मान्य अधिवक्ता अथवा वैध अधिकारों के मध्य दस्तावेज दावा या आपत्ति दिनांक 26/12/2025 तक न्यायालय में पेश कर सकता है। नियत समय पश्चात प्राप्त दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 04/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया। तहसीलदार पथलगांव, जिला-जशपुर</p> | <p>न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर जिला सरगुजा छगंग ईशतहार रांभांक्रं- 3/अ-6/2025-26</p> <p>एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नवदेव प्रताप सिंह आ.स्व. शिवबहादुर सिंह, उम्र 74 वर्ष, निवासी (श्रीपुर हाऊस) पुलिस लाइन के द्वारा अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छगंग.) के पारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि व्यवहार न्यायालय तृतीय न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर के व्यवहार प्रकरण क्रमांक 289.40/2023 पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 12.10.2025 के अनुसार नजूल भू-खण्ड क्रमांक 1324/1 में से रकबा 4.45 डिसेमिल भूमि का स्वामित्व घोषित किया गया है। अतः उक्त निर्णय/डिक्री के आधार पर उक्त भूमि के नजूल अभिलेख में स्वयं का नाम दर्ज किये जाने हेतु उक्त निर्णय/डिक्री को छायाप्रति मध्य दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 110 छग. भू-नजूल सहित 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 31/12/2025 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 01/12/2025 को मेरे नजूल अधिकारी अम्बिकापुर</p> | <p>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) / सक्षम प्राधिकारी, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) रा.प्र.क्र./अ-2/2025-26 --:ईशतहार :-</p> <p>एतद् द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती मधु सोनी पति श्री सुजीत सोनी, जाति-सोनार, निवासी ग्राम सूरजपुर तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनके स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम सूरजपुर प.ह.नं. 11, रा.नि.मं. सूरजपुर, तहसील सूरजपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1739/5, रकबा 0.0210 हे. कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यवर्तन किये जाने का निवेदन किया गया है। अतएव इस सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था / विभाग को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 26/12/2025 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 11/12/2025 को न्यायालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया। विशेष कर्तव्याधिकारी भूमि व्यवर्तन, सूरजपुर</p> | <p>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) / सक्षम प्राधिकारी, सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) रा.प्र.क्र./अ-2/2025-26 --:ईशतहार :-</p> <p>एतद् द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम चन्द्रपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती कौशल्या सिंह पति कविनाथ सिंह, जाति-गोड़, निवासी ग्राम चन्द्रपुर तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उनके स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम चन्द्रपुर, प.ह.नं. 08, रा.नि.मं. बसदेई, तहसील सूरजपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 810/4, रकबा 0.0210 हे. कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यवर्तन किये जाने का निवेदन किया गया है। अतएव इस सम्बन्ध में जिस किसी भी व्यक्ति / संस्था / विभाग को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 26/12/2025 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके पश्चात् प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 11/12/2025 को न्यायालयीन पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया। विशेष कर्तव्याधिकारी भूमि व्यवर्तन, सूरजपुर</p> | <p>न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-03 जिला-सरगुजा (छगंग) रांभांक्रं- 202512022900004/ब-121/2025-26 ईशतहार</p> <p>एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक शम्भु तबरेज आं शरफराज अली निवासी बरेजपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छगंग द्वारा अपने स्वामित्व की ग्राम नवागढ़, तहसील अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1000/12 कुल रकबा 0.008 हे० भूमि को अनावेदिका बसिमा खातून पति शम्भु तबरेज, निवासी बरेजपारा, अम्बिकापुर तहसील व जिला अम्बिकापुर छगंग के पास दान करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो जांच प्रतिवेदनाध्य इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 29.12.2025 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अधिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 12/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी है। तहसीलदार अम्बिकापुर, सरगुजा</p> |
|--|---|---|---|--|---|--|--|

विधायक के प्रयासों से नगर पंचायत जरही को मिला 266.26 लाख का मेगा डेवलपमेंट पैकेज

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जरही। प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। क्षेत्र की कर्मठ और जनसमर्पित विधायक शकुंतला सिंह पोते के अथक प्रयासों से नगर पंचायत जरही को अब तक का सबसे बड़ा 266.26 लाख का मेगा विकास पैकेज मिला है। इस राशि के अंतर्गत नगर पंचायत जरही में 40 महत्वपूर्ण विकास कार्यों को अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति 01.10.2025 को जारी प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी हुई है, जिसे अब शासन ने पूरी तरह मान्य करते हुए नगर पंचायत जरही को सीधे क्रियान्वयन के लिए भेज दिया है। नगर पंचायत जरही के लिए यह निर्णय बेहद

महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कई वर्षों से लंबित और बहुप्रतीक्षित कार्य अब शुरू होंगे।

आईटी सेल मंडल संयोजक शशी रंजन सिंह ने विधायक से की मुलाकात

इस उपलब्धि के बाद मंडल संयोजक आईटी सेल जरही मंडल शशी रंजन सिंह ने विधायक शकुंतला सिंह पोते से मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई दी। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच जरही के समग्र विकास, आने वाले कार्यों की प्राथमिकता और जनता की अपेक्षाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। शशी रंजन सिंह ने कहा कि विधायक द्वारा दिलाया गया यह विकास पैकेज जरही के भविष्य को उज्वल बनाने वाला है। क्षेत्र की जनता वर्षों से इन कार्यों का इंतजार

कर रही थी। हम सभी उनके आभारी हैं कि उन्होंने निरंतर प्रयास कर यह बड़ी स्वीकृति दिलाई। विधायक शकुंतला सिंह पोते ने भी आश्चर्य व्यक्त किया कि नगर पंचायत जरही में स्वीकृत सभी 40 कार्यों को समयसीमा व गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाएगा।

नगर पंचायत जरही में विकास की नई रफ्तार

नगर पंचायत जरही के लगभग हर वार्ड को इस पैकेज का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। जिन क्षेत्रों में आज तक पक्की सड़कें, नालियाँ या उचित ड्रेनेज व्यवस्था नहीं थी, अब वहाँ गुणवत्तापूर्ण निर्माण किए जाएंगे। स्वीकृत कार्यों में सभी मुख्य रास्तों का सीसी रोड निर्माण, भीतरी गलियों में आरसीसी ड्रेन व नाली निर्माण, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में फेसिंग व बाउंड्रीवाल, पार्कों का सौंदर्यीकरण और



फेसिंग, पुराने व जर्जर रास्तों का पुनर्निर्माण, सार्वजनिक सुविधाओं

का विस्तार, जरूरत वाले क्षेत्रों में सड़क चौड़ाकरण शामिल हैं। इन

कार्यों के पूरा होने के बाद नगर पंचायत जरही की छवि पूरी तरह बदलेगी। आवागमन सुचारू होगा, बरसात के समय जलभराव की समस्या खत्म होगी, और नागरिक सुविधाओं में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

विधायक पोते को पूरे विकास पैकेज का श्रेय

नगर पंचायत जरही को इस ऐतिहासिक स्वीकृति का पूरा श्रेय प्रतापपुर विधानसभा की विधायक शकुंतला सिंह पोते को जाता है। वे पिछले कई महीनों से इन विकास कार्यों के लिए लगातार शासन-प्रशासन के संपर्क में रहीं, फाइलों का फॉलो-अप करती रहीं और हर स्तर पर नगर पंचायत जरही के हितों की लड़ाई लड़ती रहीं। उनके इसी निरंतर प्रयास का परिणाम है कि आज नगर पंचायत जरही को इतना बड़ा विकास पैकेज मिला

है, जो आने वाले वर्षों में क्षेत्र के विकास की दिशा तय करेगा।

विकास पैकेज से जरही की जनता में खुशी

नगर पंचायत जरही में इस स्वीकृति को लेकर खुशी का माहौल है। स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। नगर पंचायत जरही के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। तकनीकी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता और सामग्रियों की जाँच भी अनिवार्य रखी गई है। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि मंजूर राशि से बाहर की कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी और धन का उपयोग सिर्फ स्वीकृत कार्यों पर ही सख्ती से किया जाए।

कार्यों की गुणवत्ता के लिए निगरानी होगी सख्त

जारी आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी कार्य तय समय सीमा में और सर्वोच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएँ। नगर पंचायत जरही के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। तकनीकी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता और सामग्रियों की जाँच भी अनिवार्य रखी गई है। सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि मंजूर राशि से बाहर की कोई अतिरिक्त राशि नहीं दी जाएगी और धन का उपयोग सिर्फ स्वीकृत कार्यों पर ही सख्ती से किया जाए।

जरही में 19 दिसंबर से शुरू होगा प्रतिक्षा बस स्टैंड

यात्री सुविधाओं में मिलेगी बड़ी बढ़ोतरी, नगर में खत्म होगी जाम और अव्यवस्था की समस्या

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जरही। नगर पंचायत जरही द्वारा वार्ड क्रमांक 03 में नव-निर्मित प्रतिक्षा बस स्टैंड का संचालन 19 दिसंबर 2025 से आधिकारिक रूप से शुरू किया जा रहा है। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे यात्रियों व नगरवासियों के लिए यह सुविधा किसी राहत से कम नहीं होगी। बस स्टैंड के शुभारंभ के बाद अब सभी बसें निर्धारित स्थान पर ही रुकेंगी, जिससे मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित तरीके से वाहन खड़े होने की समस्या समाप्त होगी। अभी तक नगर के चौक और मुख्य सड़क पर ही यात्रियों को चढ़ाने-उतारने के कारण लगातार जाम की स्थिति



बनती थी। इससे न केवल आम नागरिक परेशान होते थे बल्कि एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहनों को भी आवाजाही में बाधा का सामना करना पड़ता था। स्थानीय लोगों और व्यापारियों की शिकायत रही है कि भारी वाहन,

चार पहिया और बसों के अव्यवस्थित रूप से गुजरने के कारण दुर्घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती थी। खासकर अंबिकापुर-बनारस मुख्य मार्ग पर भीड़भाड़ के चलते कई बार जोखिम भरे हालात देखे जाते थे।

नए प्रतिक्षा बस स्टैंड के शुरू होने के बाद यात्रियों को सुरक्षित, समुचित और व्यवस्थित स्थान मिलेगा। बसों का संचालन अधिक नियमित और नियंत्रित ढंग से होगा। नगर में यातायात दबाव कम होगा और जाम की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। सड़क दुर्घटनाओं की आशंका में भी कमी आएगी। नगर पंचायत का यह प्रयास न केवल यातायात व्यवस्था को सुचारू करेगा बल्कि नगर के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यात्रियों और स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई कि बस स्टैंड शुरू होने से नगर की छवि भी निखरेगी।

कलेक्टर ने धान उपार्जन केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान त्वरित सुविधा उपलब्ध कराने दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। कलेक्टर विलास भोसकर ने आज जिले के धान उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने केन्द्रों में बारदाना उपलब्धता, धान तौल, हमाल भुगतान, रकबा समर्पण व टोकन व्यवस्था सहित संपूर्ण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सबसे पहले बोदा धान उपार्जन केन्द्र पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से प्रत्यक्ष बातचीत की। किसान निर्मल भगत और जोजश कुजूर ने बताया कि टोकन काटने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। केन्द्र पहुंचते ही



बारदाना उपलब्ध हुआ और तौल प्रक्रिया भी सुचारू रूप से सम्पन्न हुई। किसानों ने खरीदी व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए शासन एवं जिला प्रशासन का धन्यवाद दिया। कलेक्टर श्री भोसकर ने बतौली ब्लॉक के सेदम तथा सीतापुर ब्लॉक के भूसु और सीतापुर धान उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने केन्द्रों में धान

की गुणवत्ता जांच, तौल मशीनों की कार्यशीलता, बारदाना उपलब्धता, हमाल भुगतान और सुरक्षा व्यवस्था का भी परीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को किसानों को बिना प्रतीक्षा के त्वरित सुविधा उपलब्ध कराने और सभी व्यवस्थाओं को लगातार अपडेट रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक केन्द्र में पारदर्शिता,

समयबद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, केन्द्रों में भीड़ प्रबंधन, टोकन वितरण और भुगतान प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित रखा जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिला प्रशासन द्वारा सभी केन्द्रों की नियमित निगरानी जारी है और खरीदी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए पूर्णतः सतर्कता बरती जा रही है। जिससे जिले में सुचारू एवं कुशल धान खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इस दौरान एसडीएम रामसिंह ठाकुर, जिला खाद्य अधिकारी बी एस कामेट, डीएमओ अरुण विश्वकर्मा सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

प्रतापपुर सीएचसी में आखिरकार बढ़ी सुरक्षा - खबर का असर

डॉक्टरों से बदसलूकी और धमकियों का मामला गर्माया छ.ग. फ्रंटलाइन जरही। प्रतापपुर ब्लॉक अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों के साथ लगातार बदसलूकी, अभद्र भाषा का उपयोग और धमकियाँ दिए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग निजी स्वार्थ और दबाव बनाने की कोशिश में डॉक्टरों पर लगातार मानसिक दबाव बना रहे हैं, जिससे अस्पताल का कार्य वातावरण तनावपूर्ण बना हुआ है। चिकित्सकों का कहना है कि काम के दौरान गाली-गलौज, अनर्गल आरोप और धमकियाँ दी जा रही हैं, जिसकी वजह से वे भय और दबाव के माहौल में मरीजों का इलाज करने पर मजबूर हैं।

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जरही/प्रतापपुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सुरक्षा अव्यवस्था और महिला चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर उठाई गई हमारी खबर का बड़ा असर अब साफ दिखाई दे रहा है। खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और स्वास्थ्य विभाग ने दो

कारण अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी। इसके चलते मरीजों, परिजनों और स्टाफ के बीच असुरक्षा और अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी। स्थानीय लोगों व स्वास्थ्यकर्मियों ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हमारी खबर ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद

कारण अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ रही थी। इसके चलते मरीजों, परिजनों और स्टाफ के बीच असुरक्षा और अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी। स्थानीय लोगों व स्वास्थ्यकर्मियों ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। हमारी खबर ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद

विभाग ने अत्यंत गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तुरंत कदम उठाया। स्वास्थ्य विभाग की कार्यवाही-खबर का सीधा असर खंड चिकित्सा अधिकारी प्रतापपुर ने जिला सेनानी से महिला सुरक्षा कर्मियों की मांग की जिस पर जिला स्तर से दो

महिला नगर सैनिकों की तैनाती को स्वीकृति आदेश जारी होते ही दोनों महिला नगर सैनिकों की ड्यूटी सीएचसी में लगाने की प्रक्रिया पूर्ण हुई। अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था अब पहले से अधिक सख्त और व्यवस्थित हो गई है।

महिला स्वास्थ्यकर्मियों और मरीजों में संतोष

महिला नगर सैनिकों की तैनाती के बाद महिला चिकित्सकों को सुरक्षित वातावरण में कार्य कर पायेंगे, मरीजों और उनके परिजनों में भी विश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ेगी, अस्पताल परिसर में अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा, रात के समय सुरक्षा गश्त और निगरानी बढ़ेगी। अस्पताल स्टाफ और ग्रामीणों ने इस त्वरित कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम लंबे समय से आवश्यक था, अब अस्पताल में काम करना और इलाज कराना दोनों अधिक सुरक्षित महसूस होगा। स्पष्ट है हमारी खबर ने न सिर्फ समस्या को उजागर किया, बल्कि समाधान तक प्रशासन को मजबूती से पहुंचाया। खबर का असर मैदान में दिख रहा है।

तहसीलदार ने गोविंदपुर के व्यापारी से 560 बोरी अवैध धान किया जप्त

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रामानुजनगर। तहसीलदार ने ग्राम गोविंदपुर में एक व्यापारी के गोदाम में दबिश देकर बड़े पैमाने पर रखे अवैध धान जप्त कर बड़ी कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया है। तहसीलदार को सूचना मिली थी कि गोविंदपुर में किराना दुकान संचालक प्रकाश के यहाँ अवैध तरीके से एकत्र कर धान रखा गया है। सूचना पर तहसीलदार मनहरण सिंह राठिया की टीम द्वारा दुकान में दबिश देकर जांच पड़ताल की गई तो गोदाम में बड़े पैमाने पर अवैध धान रखा पाया गया। जांच पड़ताल के उपरांत तहसीलदार ने 560 बोरी धान को जप्त की कार्रवाई करते



हुए गोदाम को सील कर दिया है। तहसीलदार द्वारा अवैध तरीके से धान की अफरा-तफरी कर सोसायटियों में खपाए जाने की शंका के मद्देनजर लगातार छापेमारी की जा रही है, वहीं अवैध धान पाए जाने पर कार्रवाई

किए जाने से कोचियों में हड़कंप मचा हुआ है। तहसीलदार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कोचियांगिरी को पूर्णतः बंद कराना और वास्तविक किसानों का धान समितियों में खरीदी सुनिश्चित करने यह कार्रवाई की जा रही है।

एक राष्ट्र-एक चुनाव के समर्थन में कालिदास महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

प्रतापपुर। शासकीय कालिदास महाविद्यालय में बुधवार को एक राष्ट्र-एक चुनाव के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। अभियान में कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए इस पहल का खुलकर समर्थन किया। कार्यक्रम में वन नेशन वन इलेक्शन के जिला संयोजक अंकुर पटेल, महाविद्यालय जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष गुलाब मोहन तिवारी, प्राचार्य आर.पी.सिंह, सांसद प्रतिनिधि आनंद शुक्ला, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष विक्रम नामदेव, महामंत्री अमलेश्वर सिंह, अजय नेताम, संतोष रजक, सनी गुप्ता, आर्यन दुबे, पुंजन पटेल सहित अन्य कार्यकर्ता एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। अंकुर पटेल ने



छात्रों को एक राष्ट्र, एक चुनाव की अवधारणा के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था देश में बार-बार होने वाले चुनावों पर लगने वाली भारी वित्तीय लागत को कम कर सकती है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता के लगातार लागू होने से विकास कार्य और योजनाओं की गति धीमी पड़ जाती है, जबकि एक साथ चुनाव से नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अलग-अलग चरणों में चुनाव होने से सुरक्षा बलों और प्रशासनिक संसाधनों की

बार-बार तैनाती करनी पड़ती है। यदि चुनाव एक साथ हों तो संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा। इसके अलावा मतदाता थकान में कमी, सामाजिक सद्भाव में सुधार तथा निवेश और अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल वातावरण बनने जैसे लाभ भी इस पहल से जुड़े हुए हैं। अभियान के दौरान सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने हस्ताक्षर कर इस पहल के प्रति अपना समर्थन दर्ज कराया। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय प्रशासन और छात्र प्रतिनिधियों की भूमिका सराहनीय रही।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों के लिए आवेदन 31 दिसम्बर तक

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन


अम्बिकापुर। एकीकृत बाल विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी ने बताया कि बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (शहरी) के अंतर्गत रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पदों हेतु खुली भर्ती हेतु आवेदन पत्र 17 दिसम्बर से 31 दिसम्बर 2025 तक आमंत्रित किये गये हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 01 पद एवं आंगनबाड़ी सहायिका के 03 पदों पर पदों पर भर्ती की जानी है। जिसमें महाराणा प्रताप वार्ड क्र. 06 के दुबे कॉलोनी आंगनबाड़ी केन्द्र केदारपुर, में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 01 पद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्र. 03 गांधीनगर आंगनबाड़ी केन्द्र बंगालीपारा में

आंगनबाड़ी सहायिका के 01 पद, रामानुज वार्ड क्र. 33 दरीपारा, आंगनबाड़ी केन्द्र हरिजनपारा में 01 पद एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड क्र. 45 दरीपारा, आंगनबाड़ी केन्द्र खरसिया नाका में 01 पद पदों पर भर्ती की जानी है। उन्होंने बताया कि उक्त पदों पर केवल महिला ही आवेदन कर सकती है। वे अपना आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना अम्बिकापुर (शहरी) कार्यालय में कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय पर जमा अथवा पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित अवधि तक भेज सकती हैं। नियुक्ति की विस्तृत शर्तों एवं अहताओं के सम्बन्ध में जानकारी परियोजना कार्यालय एवं नगर पालिक निगम अम्बिकापुर कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।

राकेश कुमार जैन को ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चर्चित कोल लेवी घोटाले की जांच कर रही ईओडब्ल्यू टीम ने 11 दिसंबर को राकेश कुमार जैन को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई अवैध कोल लेवी वसूली से जुड़े मामले में दर्ज अपराध क्रमांक 3/2024 के तहत की गई है। मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएँ और भारतीय दंड संहिता की 120बी, 384 और 420 शामिल हैं। जांच में सामने आया कि राकेश कुमार जैन ने कथित तौर पर फर्जी कंपनियों का नेटवर्क खड़ा कर करोड़ों रुपये की लेनगिर की। ईओडब्ल्यू के अनुसार, अवैध वसूली की राशि हनुवाला के जरिये उन लोगों तक भेजी गई, जिन पर इस घोटाले में सलिल होने का आरोप है। इसके



बदले जैन को कमीशन मिलता था। जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने करीब 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि को फर्जी कंपनियों के माध्यम से ट्रांजैक्शन दिखाकर नकद में निकाला और उसे मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी तक पहुँचाया। इसके अलावा, लिंकर मामले से जुड़े आरोपी अनवर देबर के लिए भी कथित तौर पर घोटाले की रकम को एंटीहैज के जरिए वैध दिखाने का काम किया गया। इस हिस्से की जांच अभी जारी है। जांच में यह भी पाया गया कि जैन ने अपने

नाम और अपने साले के नाम पर दर्जन भर से ज्यादा कंपनियाँ बनाईं। साथ ही, अपने संपर्कों और कर्मचारियों के नाम पर बनी कंपनियों के जरिये भी लेन-देन किए जाते थे। राकेश कुमार जैन पहले भी धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में आरोपी रह चुका है और लंबे समय से फरार था। उसके खिलाफ रायपुर के कोतवाली थाने में अपराध क्रमांक 325/22 और 346/23 तथा मौदहापारा थाने में अपराध क्रमांक 252/22 दर्ज हैं। 12 दिसंबर को आरोपी को विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रायपुर में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने उसे 19 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ईओडब्ल्यू उसकी पूछताछ और साक्ष्य एकत्र करने की कार्रवाई कर रही है।

जिपं सामान्य सभा और सामान्य प्रशासन समिति की हुई बैठक

जिला स्तरीय युवा उत्सव में उत्साह से शामिल हुए प्रतिभागी

विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर दिए गए आवश्यक निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। शुक्रवार को यहां जिला पंचायत सभाकक्ष में सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिपं अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणी देवपाल सिंह पैकरा ने की। इस दौरान उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा राजलाल राजवाड़े उपस्थित रहीं। बैठक में अध्यक्ष श्रीमती पैकरा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचे। उन्होंने आमजन के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया। इस अवसर पर वृद्धा श्रीमती तिराहों, पति नेतलाल 65 वर्ष, भुनेश्वरपुर, रामानुजगंज और श्रीमती श्याम बाई केवट ग्राम हर्रापारा, भैयाथान को जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा श्रवण यंत्र प्रदाय किया गया। बैठक में सहकारिता, समाज कल्याण, महिला एवं विकास, मत्स्य, पशुधन विकास विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण, सेंट्रल मण्डल, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, अत्यावसायी सहकारी विकास समिति, विद्युत विभाग, क्रेडा विभाग, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, कृषि विभाग, जल संसाधन, उद्यान, मनरेगा, शिक्षा, 15वां वित्त विभाग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खाद्य



विभाग और माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना की समीक्षा की गई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मूलभूत आवश्यकताओं पर व्यापक चर्चा की गई। इस दौरान उक्त विभागों के अधिकारियों द्वारा संचालित योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गई तथा आगामी कार्य योजनाओं से सदस्यों को अवगत कराया गया। खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान धान खरीदी केंद्रों में की जा रही खरीदी की जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसके लिए जिला प्रशासन विशेष रूप से कार्य करे। साथ ही धान भंडारण की स्थिति की भी जानकारी ली गई। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। पीएम श्री स्कूल और आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, लाभान्वित बच्चों तथा शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और शिक्षकों की उपलब्धता को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा निर्माणाधीन स्कूल

भवन को समयसमय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के तहत धान, मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन जैसी फसलों के पैदावार वितरण योजना, पशुधन मित्र योजना, राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना इत्यादि अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई। मोबाइल वेटनरी यूनिट, किसान क्रेडिट कार्ड और दुग्ध सहकारी समिति की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के तहत जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा जिले के सभी अस्पतालों में दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गई। उद्यानिकी विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं सहित जिले में रोपनी फसलों और राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना की प्रगति की जानकारी दी गई, वहीं आदिम जाति कल्याण विभाग की योजनाओं में एकलव्य आदर्श विद्यालय,

छात्रावासों एवं छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। छात्रावासों का मरम्मत, छात्रावासों में रिक्त सीटों की जानकारी और छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाओं, वन अधिकार पट्टा वितरण की जानकारी ली गई। इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान की स्थिति तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों पर चर्चा हुई। मत्स्य विभाग के अधिकारियों से मत्स्य बीज वितरण और सब्सिडी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। इस बैठक में जिला पंचायत सीईओ, डीएफओ तथा अन्य सभी जिला पंचायत सदस्य एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मिले। इसके लिए एटीएम कार्ड की सुविधा प्रदान की गई है। सीसीबी नोडल ने बताया कि जिले के सभी 47 समितियों में माइक्रो एटीएम की व्यवस्था की गई है और किसानों को एटीएम के माध्यम से आसानी से नगद भुगतान की सुविधा प्राप्त हो रही है। कलेक्टर के निर्देशानुसार अवैध धान भंडारण एवं परिवहन को रोकने जिले की सीमाओं एवं चेक पोस्ट पर चौकसी को और मजबूत करते हुए लगातार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। यहां मंगल भवन में शुक्रवार को जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया।

छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कलेक्टर एस. जयवर्धन तथा जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र पाटले के मार्गदर्शन में आयोजन सम्पन्न हुआ। उत्सव के समापन पर विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रतिभागियों में उत्कृष्ट कलात्मक प्रदर्शन किया। लोक नृत्य में प्रेमनगर प्रथम रहा। राउत नाचा में भैयाथान, करमा नृत्य में प्रेमनगर तथा सुआ नृत्य में भैयाथान ने प्रथम स्थान हासिल किया।

लोकगीत श्रेणी में सूरजपुर ने बाजी मारी साहित्यिक प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार



प्रदर्शन किया। बाद-विवाद और कहानी लेखन में हिना परवीन, चित्रकला में अर्शव ठाकुर सूरजपुर, कविता लेखन में अभिषेक कुमार साहू प्रेमनगर प्रथम रहे। नवाचार श्रेणी में सतीष सिंह और आयुष तिवारी सूरजपुर ने पहला स्थान प्राप्त किया। एकांकी नाटक प्रतियोगिता में भैयाथान प्रथम रहा, जबकि पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिता में विकास और वर्षा

प्रेमनगर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में सभी विजेता कलाकारों को सम्मानित किया गया तथा राज्य स्तरीय

प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए शुभकामनाएँ दी गईं। अतिथियों ने प्रतिभागियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करने की प्रेरणा भी दी। इस आयोजन में खेल अधिकारी आरती पाण्डेय, जनप्रतिनिधि शशिकांत गर्ग, मुकेश गर्ग एवं संदीप अग्रवाल भी उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग द्वारा नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई।

कृषि विभाग ने मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर बंशीपुर में किया जनजागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। जिले के बंशीपुर में कृषि विभाग द्वारा सांयल हेल्थ मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत किसानों के लिए जनजागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर एस. जयवर्धन तथा जिला पंचायत सीईओ विजेन्द्र सिंह पाटले के निर्देश एवं उप-संचालक कृषि सुश्री संपदा



पैकरा के मार्गदर्शन में उक्त आयोजन सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को मृदा परीक्षण, मिट्टी की उर्वरता सुधार, फसल चक्र, जैविक खाद का उपयोग, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, चभू संतुलन, सूक्ष्म पोषक तत्व, तथा जल संरक्षण तकनीकों के बारे में विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया। साथ ही

किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर सही उर्वरक चयन की जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य सतत कृषि को बढ़ावा देना, मिट्टी संरक्षण, तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करना था। अधिकारियों ने किसानों से नियमित रूप से मिट्टी परीक्षण कराने तथा प्रशिक्षण में मिले ज्ञान को अपने खेतों में लागू करने की अपील की। इसके साथ ही किसानों को एग्रीस्टैक के माध्यम से रकबा सुधार प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि नीति आयोग की कडम्ब टीम द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत बंशीपुर का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का सर्वे किया जाएगा। इस संबंध में पंचायत सचिव, सरपंच तथा पंचों को हितग्राहियों के साथ सर्वे टीम को पूर्ण सहयोग देने हेतु निर्देशित किया गया। कार्यक्रम में कृषि अधिकारी अभिषेक सिंह, ब्लॉक फेलो, सरपंच, सचिव सहित बड़ी संख्या में किसान एवं हितग्राही उपस्थित थे।

कार्यालय ग्राम पंचायत तातापानी जनपद पंचायत बलरामपुर जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ०ग०)

- :: विज्ञापन :: -

क्र०/39/ग्रा.पंचा./मेला महोत्सव/2025 तातापानी, दिनांक 12.12.2025

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रान्ति के शुभ अवसर पर तातापानी मेला महोत्सव का आयोजन दिनांक 14.01.2026 से 16.01.2026 तक किया जा रहा है। उक्त महोत्सव में इस राज्य सहित पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में श्रद्धालुगण/व्यक्ति शामिल होंगे एवं प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यों का मंचन किया जाता है। श्रद्धालुगण/आगतुकों के मनोरंजन के लिए झुला, मौत-कुआ, मीना बाजार इत्यादि लगाया जाता है साथ ही श्रद्धालुगण/आगतुकों के मोटर वाहनों को व्यवस्थित रखने के लिए वाहन स्टैण्ड (पार्किंग स्थल) चिह्नकित किया गया है। झुला, मौत-कुआ, मीना बाजार, वाहन स्टैण्ड (पार्किंग स्थल), का आवंटन निलामी के द्वारा किया जावेगा। जिसमें इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था अधोलिखित शर्तों के अधीन भाग ले सकते हैं।

- इच्छुक व्यक्ति/फर्म/संस्था को निलामी में सम्मिलित होने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मय दस्तावेज दिनांक 12.12.2025 से 29.12.225 तक समय 10 बजे के पूर्व ग्राम पंचायत तातापानी में जमा करना अनिवार्य होगा।
- आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ पैना कार्ड, फर्म का पंजीयन की छायाप्रति एवं न्यूनतम 10/- रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- निलामी में प्रारंभिक बोली विगत वर्ष के निलामी में 10 प्रतिशत बढ़ाकर अंतिम बोली होगी जो कि टेबल के कालम क्रमांक 03 में अंकित है। बोलीकर्ता को कालम क्रमांक 04 में अंकित अमानत राशि आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व नगद जमा करना अनिवार्य होगा।

| क्र. | विवरण | निलामी हेतु प्रारंभिक बोली (रु. में) | अमानत राशि बोली (रु. में) |
|------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1 | झुला, मौत-कुआ इत्यादि | 1045000.00 | 50000.00 |
| 2 | मीना बाजार | 374000.00 | 30000.00 |
| 3 | वाहन स्टैण्ड (दो/चार पहिया) | 134000.00 | 15000.00 |
| 1 | बलरामपुर रोड की ओर | | |
| 2 | रामानुजगंज रोड की ओर | 128200.00 | 15000.00 |
| 3 | सेन्दूर रोड | 30000.00 | 5000.00 |

- सफल निविदाकार को बोली की राशि का 50 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा एवं शेष राशि दिनांक 10.01.2026 के पूर्व या स्थल का अधिपत्य लेने के पूर्व जो भी पहले हो जमा करना होगा। यदि सफल निविदाकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि तत्काल जमा नहीं की जाती है तो द्वितीय सफल निविदाकार को प्राथमिकता दी जावेगी।
- वाहन स्टैण्ड (दो/चार पहिया) के सफल बोलीकर्ता को 50 प्रतिशत राशि तत्काल जमा करना होगा तथा शेष राशि को दो दिवस के भीतर जमा करना होगा अन्यथा द्वितीय बोलीकर्ता को प्राथमिकता दिया जावेगा।
- सफल बोलीकर्ता द्वारा 50 प्रतिशत राशि तत्काल जमा नहीं किये जाने पर अमानत राशि वापस नहीं की जावेगी। शेष बोलीकर्ता की अमानत राशि को निलामी स्थल पर तत्काल वापस की जावेगी।
- झुला, मौत-कुआ के आवेदनकर्ता अपने फर्म/संस्था का लाइसेंस/फिटनेस एवं अनुभव/इन्सोरेन्स एवं विगत 03 वर्षों का जीएसटी रिटर्न आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- चयनित बोलीकर्ता द्वारा झुला, मौत-कुआ, मीना बाजार, वाहन स्टैण्ड (पार्किंग-स्थल) हेतु चिह्नकित स्थल का साफ-सफाई/समतलीकरण/सुरक्षा व्यवस्था का उपाय व अन्य अनुषंगिक कार्य स्वयं के व्यय पर करना होगा।
- झुला, मौत-कुआ, मीना बाजार इत्यादि लगाने के पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
- किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में जिला प्रशासन बलरामपुर द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
- सफल बोलीकर्ता द्वारा शेष राशि यदि दिनांक 14.01.2026 के पूर्व या स्थल का अधिपत्य लेने के पूर्व जो भी पहले हो जमा नहीं किये जाने पर शेष राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।
- सफल निविदाकार को छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन बलरामपुर-रामानुजगंज तथा ग्राम पंचायत तातापानी द्वारा समय-समय जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

निलामी का स्थान : तातापानी (सागुदायिक भवन)
निलामी का दिनांक/समय 29.12.2025 समय 11 बजे दिन
सचिव
ग्राम पंचायत तातापानी
जनपद पंचायत बलरामपुर
जिला बलरामपुर-रामानुजगंज

नपा सूरजपुर में अवैध निर्माण को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। यहां संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में शुक्रवार को कलेक्टर एस. जयवर्धन की अध्यक्षता में जिले के सभी नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें नगरीय

निकाय के समस्त सीएमओ की उपस्थिति में निकायों के आय बढाने एवं उन्हे आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य करने हेतु चर्चा की गई। इसके साथ ही क्रमवार द्वितीय बैठक में नगरीय निकाय के पदेन जनप्रतिनिधिगण व जिला

प्रशासन के अमले के साथ शहर में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए गहन मंथन किया गया। नगरीय निकाय के पदेन जनप्रतिनिधि व प्रशासन अमले के साथ संपन्न में हुई बैठक में सूरजपुर शहर स्वच्छ बने और स्वच्छता के प्रति जिले के

नगरवासी जागरूक बने इस दिशा में कार्य करने हेतु व्यापक



कलेक्टर ने की जिले के नगरीय प्रशासन के कार्यों की समीक्षा

स्तर चर्चा की गई। जिसमें उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत किये गये। कलेक्टर ने जनजागरूकता के लिए वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार कराने एवं नुकुड़ नाटक जैसी गतिविधियां कराने के निर्देश दिए। नगर के सफाई के साथ-साथ, बिजली, पानी व अन्य महत्वपूर्ण मूलभूत विषयों पर चर्चा की गई जिसमें कलेक्टर ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों से सहयोग मागते हुए अपील की कि सभी पात्र हितग्राही राशन कार्ड का ई-केवासी कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री स्वस्थ योजना, राजस्व वसूली एवं निकाय के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई, तथा कलेक्टर द्वारा पीएम स्वनिधि हेतु निरंतर कैम्प लगाकर पथ विक्रेताओं को उक्त योजना का लाभ दिलाये जाने, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत

एसएलआरएम सेंटर में गीला एवं सुखा कचरा पृथकीकरण किये



जाने, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अपूर्ण आवासों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने, नगर के महत्वपूर्ण सड़कों में स्ट्रीट लाइट हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने, राजस्व वसूल शतप्रतिशत किये जाने एवं लॉन्ग निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी विश्रामपुर, जरही एवं भटगांव को एसईसीएल प्रबंधन के साथ अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में नगर के सफाई व्यवस्था सुव्यवस्थित किये जाने हेतु बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये, एवं सूरजपुर मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ग्राम तथा नगर निवेश के संयुक्त टीम के साथ अवैध निर्माण को चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कुसुमलता राजवाड़े, उपाध्यक्ष शैलेश अग्रवाल, मुकेश गग, अन्य पार्षद, समस्त निकाय के सीएमओ, सीटी मिशन प्रबंधक, उप अभियंता शामिल हुए।

भैयाथान खरीदी केंद्र से 157 बोरी अवैध धान व पिकअप जप्त

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। धान खरीदी केंद्र भैयाथान में शुक्रवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान किसान जितेंद्र पिता दिलेश्वर धार केंद्र में 157 बोरी लगभग 62.80 क्विंटल पुराना धान विक्रय हेतु लाया गया। पृच्छाछ में किसान ने बताया कि यह धान उन्होंने उमेश गुप्ता, सत्यनगर से लेकर बेचने के उद्देश्य से लाया था। राजस्व विभाग द्वारा अनियमितता पाए जाने पर धान की पूरी मात्रा एवं पिकअप वाहन को मोके पर ही जप्त कर सोसायटी प्रबंधक सनलीत कुशवाहा को सुपुर्द किया गया। साथ ही किसान से रकबा समर्पण की कार्यवाही भी कराई गई। इस प्रकरण को लेकर विभागीय अधिकारियों ने कहा कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कटघोरा वनमण्डल अंतर्गत कसनिया डियो में होने वाले ई-नीलाम के लिये प्रस्तावित जांजगीर चाम्पा वनमण्डल के विभिन्न डियो में रखे गये वनोपज के नीलाम हेतु मात्रा की जानकारी

नीलाम दिनांक 22.12.2025

| श.क्र. | डियो का नाम | प्रजाति | विभिन्न नीलाम का शेष | | | | | | | |
|--------|------------------|---------|----------------------|--------|---------------|--------|------|----|------|-------|
| | | | सददा | | बस्सी / डेगरी | | बांस | | | |
| | | | नग | घ.गो | नग | घ.गो | बददा | नग | नोटन | |
| 1 | भिसार डियो सक्ती | अन्य | 56 | 9.233 | | | | | | |
| | | सागीन | 30 | 2.880 | | | | | | |
| | | साल | 14 | 1.828 | | | | | | |
| 2 | अकलतरा डियो | सक्ती | | | | | 57 | | | |
| | | सागीन | 29 | 3.846 | 384 | 3.127 | | | | |
| | | नीलफिरी | | | 739 | 8.671 | | | | |
| 3 | जांजगीर | सक्ती | | | | | | | 70 | 0.044 |
| | | सागीन | 16 | 0.943 | 4 | 0.046 | | | | |
| | | अन्य | 184 | 26.511 | | | | | | |
| 4 | फांकर डियो | सक्ती | | | | | | | | 114 |
| | | सागीन | 45 | 9.337 | | | | | | |
| | | अन्य | 30 | 4.174 | | | | | | |
| | | हन्तू | 6 | 1.059 | | | | | | |
| | | बीजा | 4 | 0.572 | | | | | | |
| | | साल | 39 | 6.045 | 6 | 0.027 | | | | |
| | | सागीन | | | 6 | 0.101 | | | | |
| | | सक्ती | | | | | | | | 1 |
| | | योग | 583 | 87.289 | 1139 | 11.972 | 172 | 70 | | 0.044 |

- केताओं को ई-ऑक्शन से पूर्व MSTC E-Commerce Portal में रजिस्ट्रेशन में करना अनिवार्य है।
- केताओं को ई-ऑक्शन से पूर्व क्रय लॉटों के अपसेट प्राईज मूल्य के 10 प्रतिशत की राशि अपने वॉलेट में रखना अनिवार्य है। सफल बोलीदारों को एक सप्ताह के भीतर शेष 15 प्रतिशत EMD की राशि जमा करना अनिवार्य है।
- लॉट की थप्पी सूची एवं फोटो MSTC E-Commerce Portal में अपने आईडी से लॉग इन करके देखा सकते हैं।
- ई-ऑक्शन में लॉट क्रय के पश्चात प्रथम क्रेता को 40 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा, उसी लॉट में अन्य क्रेताओं द्वारा 40 सेकण्ड पूर्व क्रय करने पर 30 सेकण्ड का समय प्राप्त होगा।

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा
जी-252605397 / 1

संपर्क करें
समाचार, ईशतहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन गौरव पथ, गुरुद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

जीवन ज्योति हॉस्पिटल में निसंतान दंपतियों के लिए श्री आईवीएफ सेंटर का भव्य शुभारंभ

हार्डकोर्ट का आदेश, पूर्व महापौर-पार्षदों को करें बकाया मानदेय भुगतान

नपानि अम्बिकापुर ने नहीं किया था 3 साल का मानदेय भुगतान, पूर्व महापौर और पार्षदों ने हार्डकोर्ट में लगाई थी याचिका

आधुनिक तकनीक और अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का नया अध्याय जुड़ा

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अम्बिकापुर ने अपने गौरवशाली 15 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपलक्ष्य में निसंतान दंपतियों के लिए श्री आईवीएफ (टेस्ट ट्यूब बेबी) केंद्र का भव्य शुभारंभ किया। इस आईवीएफ सेंटर के शुभारंभ होने के बाद अब अम्बिकापुर ही नहीं बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के संतान दंपतियों को मेट्रो सिटी तक बार-बार जाना नहीं पड़ेगा। जीवन ज्योति हॉस्पिटल में सभी जांच उपचार, सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट और आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया एक ही जगह पूरी होगी, इससे समय पैसा और मानसिक तनाव तीनों को बचत होगी, साथ ही महिलाओं के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल उपलब्ध रहेगा। श्री आईवीएफ सेंटर का शुभारंभ मुख्य अतिथि कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने विधानसभा सत्र की व्यवस्था को लेकर वचुंअल रूप से किया। श्री नेताम ने इस दौरान जीवन ज्योति हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि पूरे सरगुजा वासियों को आईवीएफ सेंटर खुलने की बधाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जीवन ज्योति स्टाफ द्वारा मैट्रन मंजूषा



शर्मा के मार्गदर्शन में एक प्रभावी नाटक का मंचन भी किया गया, जिसमें अंधविश्वास से उपर उठ कर चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठाने की प्रेरणा दी गई। आयोजन से पहले श्री आईवीएफ क्लिनिक की विशेषज्ञ व अनुभवी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट लेप्रोस्कोपी सर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्नेहा सिंह ने बताया कि आईवीएफ क्लिनिक की स्थापना से क्षेत्र के उन दंपतियों को बड़ी सहायता मिलेगी जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं। यह केंद्र आधुनिक तकनीक और अनुभवी चिकित्सकों की टीम के साथ क्षेत्र में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का नया अध्याय जोड़ेगा। उन्होंने बताया कि आईवीएफ से जन्म लेने वाले बच्चे बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ होते हैं। आज दुनिया में लाखों बच्चे आईवीएफ से पैदा हुए हैं और पूरी तरह स्वस्थ

जीवन जी रहे हैं। यह सिर्फ गर्भधारण की एक आधुनिक मेडिकल तकनीक है इससे बच्चों की सेहत पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। छत्तीसगढ़ और अम्बिकापुर जैसे क्षेत्रों में बांझपन के आम कारण का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि यहां तनाव देर से शादी हार्मोनल बदलाव कमजोर एंड शुक्राणु जैसी समस्याएं ज्यादातर सामने देखने को मिली है। सही समय पर जांच और उपचार से अधिकतर दंपति प्राकृतिक रूप से माता-पिता बन सकते हैं। आईवीएफ की पूरी प्रक्रिया लगभग दो महीने में पूरी होती है, इसमें अंडों की ग्रोथ एंड निकलना भ्रूण बनाना और ट्रांसफर शामिल है। ज्यादातर दंपतियों को बार-बार आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी ज्यादातर प्रक्रियाएं बिल्कुल



आसान और काम दर्द वाली होती है। आयोजन के दौरान जीवन ज्योति अस्पताल के चेयरमैन डॉ. जेके सिंह, वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. एमपी अग्रवाल, बबन जी पांडे, वरिष्ठ पार्षद विजय सोनी, भाजपा नेता त्रिलोक कपूर कुशवाहा, पार्षदों में मनीष सिंह, गीता प्रजापति, मेधा खड्केर, गुड्डु मिराज, समाजसेवी वंदना दत्ता सहित अन्य लोग मौजूद थे।

को संबोधित करते हुए जीवन ज्योति हॉस्पिटल के एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉ. आकाश सिंह ने बताया कि आईवीएफ के लिए जो भी जांच सुविधा होनी चाहिए वह सभी सुविधा मेट्रो सिटीज की तरह हमारे पास उपलब्ध है। अत्यधिक उपकरण उच्चतम सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हैं, जिससे प्रभावित और सटीक उपचार के लिए सर्वोत्तम परीक्षण परिणाम प्राप्त होते हैं। नजदीक जाकर स्क्रिनिंग जरूरी-डॉ. स्नेहा सिंह ने बताया कि सरगुजा जैसे क्षेत्र में हम आईवीएफ को लेकर जागरूकता के लिए लोगों के बीच जाएंगे। जागरूकता से ही उनकी झिझक दूर होगी और निसंतान दंपतियों का काम आसान होगा। इसके लिए नजदीक जाकर उनकी स्क्रिनिंग करना बहुत जरूरी है। यहां आईवीएफ सेंटर खुल जाने से सरगुजा वासियों को पूरा सपोर्ट मिल सकेगा, जो शायद बाहर मेट्रो सिटीज जाने पर ना मिले। साधारण लोग भी उठा सकते हैं लाभ-जीवन ज्योति हॉस्पिटल की डायरेक्टर संध्या सिंह ने बताया कि सामाजिक दृष्टि से अभी भी कई जगह सरगुजा में पिछड़ा क्षेत्र है। ऐसे मामलों में अभी भी संकोच और शर्मिंदा जैसी बातें सामने आती रहती हैं। पीड़ित यह नहीं जानते कि डॉक्टर के पास जाने से उनका यह संकोच मिट सकता है। यहां आईवीएफ केंद्र का लाभ साधारण लोग भी उठा सकते हैं। साधारण लोग भी संतान सुख से वंचित ना हो इसी उद्देश्य से हमने इसकी शुरुआत की है।

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। नगर निगम के पूर्व महापौर और पार्षदों के लंबित मानदेय को लेकर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गाइडलाइंस जारी करते हुए इस मामले के निपटारे का आदेश जारी किया है। 2019 से 2025 की अवधि तक के निगम कार्यकाल के चुने हुए महापौर और पार्षदों का मानदेय जून 2023 से लंबित है। इस बीच जनवरी 2025 में इस अवधि के महापौर और पार्षदों के कार्यकाल भी समाप्त हो गया। मानदेय का भुगतान नहीं होने के कारण महापौर एवं कांग्रेस से जुड़े 21 पार्षदों ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था। इस पर उच्च न्यायालय ने 28 नवंबर को आदेश जारी किया था। याचिका को बहस के दौरान नगर पालिक निगम के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया था



संभालने के लिए आदेश जारी किया है, उन्हें आगामी 3 माह में 67 लाख का भुगतान करना होगा।

संभालने के लिए आदेश जारी किया है, उन्हें आगामी 3 माह में 67 लाख का भुगतान करना होगा।

सरगुजा पुलिस ने हेल्प डेस्क नंबर जारी किया

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग चयन परीक्षा वर्ष 2023-2024 में भर्ती समस्या निदान हेतु सरगुजा पुलिस ने हेल्प डेस्क नंबर जारी किया है। दो पालियों में आवेदन स्वीकार करने के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ से प्राप्त निर्देशानुसार, जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया 2023-2024 के अंतर्गत घोषित परिणाम के पश्चात अभ्यर्थियों के शिकायत तथा ग्रीवांस के त्वरित निराकरण हेतु 12 से 14 दिसम्बर तक जिला स्तरीय हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जिसमें दो पालियों में अभ्यर्थियों के समस्या का निदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों हेतु हेल्प डेस्क प्रभारी अधिकारी निरीक्षक अंजु चेलक से मोबाइल नंबर 70003 88400 प्रधान आरक्षक लक्ष्मी दास महंत एवं आरक्षक प्रदीप तिकी मोबाइल नंबर 91315 52521 की ड्यूटी लगाई गई है, जो प्रथम पाली में प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक एवं द्वितीय पाली में दोपहर 3.30 से 5.30 तक अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर उनकी समस्या के निदान हेतु चयन समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

एसआईआर की प्रक्रिया में अब तक 80 हजार मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरा

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। सरगुजा जिले में एसआईआर की प्रक्रिया में अब तक 80 हजार मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरा है। यह कुल मतदाताओं की संख्या का करीब 11 प्रतिशत है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 24 हजार से अधिक मतदाता अपने घर पर नहीं मिले। माना जा रहा है कि इनमें से अधिकतर मजदूर हैं। अब एसआईआर के फॉर्म 18 दिसंबर तक भरे जाएंगे। सरगुजा जिले में एसआईआर की प्रक्रिया में कुल 6 लाख 74 हजार 980 मतदाताओं के फॉर्म भरे जाने थे, इनमें से 18 हजार 638 मतदाता मृत मिले हैं। इनके नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिए गए हैं। अभियान की दो बार तिथि बढ़ाए जाने के बावजूद अब तक जिले में 80 हजार 94 मतदाताओं ने स्क्रूफॉर्म भरकर जमा नहीं किया है।

4 हजार मतदाताओं का नाम दो जगह मिला
अभियान के दौरान अब तक 4 हजार 96 मतदाता ऐसे मिले हैं, जिनका नाम दो या अधिक बूथों में दर्ज है। हालांकि इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होने के कारण यह स्थिति बनी है। पंचायत विभाग में पदस्थ एक अधिकारी का नाम चार बूथों में मिला है। अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा तबादला होने पर नए स्थान पर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा लिया गया, लेकिन पुराने स्थान पर मतदाता सूची से नाम विलोपित नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी है।

24 हजार मतदाता नहीं मिले अपने निवास पर
एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 24 हजार 375 मतदाता अपने निर्धारित वार्ड में या घर में नहीं मिले। इनमें से अधिकांश मजदूर हैं, जो काम करने के लिए बाहर भी जाते हैं। माना जा रहा है कि खेती एवं निर्माण के कार्यों में संलग्न रहने वाले ये मजदूर काम पर चले गए हैं। इनका एसआईआर फॉर्म को लेकर दिक्कतें बनी हुई हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा दुबारा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाकर 18 दिसंबर किए जाने के बाद वार्डों एवं बूथ लेबल पर एसआईआर शिपर लगाकर लोगों के फॉर्म जमा करा रहे हैं।

18 दिसंबर तक भरे जाएंगे एसआईआर के फॉर्म
कलेक्टर विलास भोस्कर ने बताया कि जिले के अम्बिकापुर विधानसभा में 43703 मतदाताओं ने एसआईआर फॉर्म जमा नहीं किया गया। लुण्ड्रा विधानसभा के 16 हजार 435 व सीतापुर विधानसभा के 19 हजार 957 मतदाताओं का एसआईआर फॉर्म जमा नहीं हो सका है। एसआईआर फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी गई है। प्रशासनिक अधिकारी एसआईआर की निगरानी कर रहे हैं, शिपर लगाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं।



जीवन ज्योति हॉस्पिटल
की 15th वर्षगांठ पर
शुभारंभ
12/12/2025

SHREE IVF
टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर

सारी फर्टिलिटी इलाज़ एक ही छत के नीचे

जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नया बस स्टैंड के पास, अम्बिकापुर 9343608295/86

“उत्तर छत्तीसगढ़ का NABH फुली एक्केडिटेड (NABH Fully Accredited) हॉस्पिटल”

15 वर्षों से अम्बिकापुर में सफलतापूर्वक आपकी सेवा में...

जीवन ज्योति
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल

उपलब्ध सुविधाएं

- आई.सी.यू. एडवांस ट्रामा केयर न्यूरोलॉजी
- आन्ध्रचिकित्सा
- कालपोस्कोपी, ऊपरीगिरिसा
- स्त्री एवं प्रसूति संबंधी सर्जरी
- 24x7 अलरुग्नात्मक सुविधा/आन्ध्रचिकित्सा उपकरणों में सुसज्जित मेडिकल
- एडिक्टिव आई.सी.यू.
- एडवांस ट्रामाकेयर न्यूरो एवं रसायन व उच्चस्तरीय गाइडड सुपर अंतरेक्षण सिपेटर।
- 24x7 आन्ध्रचिकित्सा एडवांस पैथोलॉजी, रीटिटी स्कैन, एच.आर.आई इकोकार्डिओग्राफर।
- डिजिटल एक्स-रे, सोनोग्राफी, ई.सी.जी., पी.एच.टी., डी.एच.टी., टी.एच.टी., एकोरियोपी,
- 100+ रुग्णों से सुसज्जित हॉस्पिटल।
- परिजनों हेतु परिवहन कक्ष उपलब्ध।
- जनरल एवं लेजे स्कोपिंग सर्जरी
- स्टोमैक सुनिट
- ऊपरीगिरिसा सुनिट
- निवोलेव केयर सुनिट

24/7 Emergency Services

IN-HOUSE

DR. J. K. SINGH (MD MEDICINE)
DR. SNEHA SINGH (OBS & GYNEC) INFERTILITY SPECIALIST
DR. AAKASH SINGH (MD PATHOLOGY)
DR. SURAJ M. LATHIYA (NEUROSURGEON)
DR. VINAY KARNIK (ORTHOPEDIC)
DR. SUMAN SINGH (DIETICIAN)
DR. SHRADDHANAND KIJUR (ANAESTHESIA)
Dr Shreya Singh (Pshyotherapist)

VISITING DOCTOR LIST

DR. ANKIT GUPTA (PEDIATRICIAN)
DR. ROOPAK KUMAR (ANAESTHESIA)
DR. SUNIDH GUPTA (DENTAL SURGEON)
DR. DEEPAK GHORMODE (PSYCHIATRIST)
DR. PRASHANT THAKUR (PEDIATRIC CARDIOLOGIST)
DR. KUNWAR SIDDHARTH SAURABH (VASCULAR SURGEON)
DR. SHOUBHIK CHANDRA (UROLOGIST)

डॉ. जे.के. सिंह
चेस्टलोज

श्रीमती संध्या सिंह
डॉक्टर

डॉ. स्नेहा सिंह
एमएम. गायनिक

डॉ. आकाश सिंह
एमडी. पैथोलॉजिस्ट

24 घंटे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज

ब्रेन और स्पाइन सर्जरी

हृदय रोग एंजियोप्लास्टी/एंजियोप्लास्टी/पेस मेकर

NOW आईवीएफ सुविधाएं

Lakshmi Narayan Hospital
HEALING MATTER

डॉ. गौरव कुमार
एच.बी.बी.एस.टीएनबी (आईपी)
पूर्व एमोसिस्ट स्पेशलिस्ट (टाटा मेन हॉस्पिटल)
हृदय एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ

डॉ. आयुषी अग्रवाल
एच.बी.बी.एस (ऑनर्स गोल्लू मेडल)
एमएस (गोल्लू मेडल), टीएनबी
स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ

लक्ष्मी नारायण अस्पताल
समय: प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से 05:00 बजे तक
9 गुदरी चौक, संगम गली, अम्बिकापुर (छ.ग.) 8305960517, 8251071106, 07774-356715